वार्षिक रिपोर्ट
2005-2006

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
भारत सरकार
5वां तल लोकनायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली -03
दूरभाष : 24694816
फैक्स : 24693302

दीपा जैन सिंह
भा.प्र.से.
सचिव

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की वित्त वर्ष 2005-2006 की वार्षिक रिपोर्ट, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 12 और 18 सितम्बर, 1995 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 641 (ई) के अनुसार तैयार की गई है। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 13 के तहत यथा अपेक्षित आवश्यक कार्रवाई के लिए सरकार को अग्रेषित की जाती है।

(दीपा जैन सिंह)

विषय सूची

अध्याय संख्या	टिप्पणी	पृष्ठ संख्या
अध्याय -1.	परिचय	1-3
अध्याय -2.	आयोग का गठन	4
अध्याय -3.	आयोग की बैठकें	5-8
अध्याय -4.	वर्ष की मुख्य घटनाएं	9-15
अध्याय -5.	आयोग द्वारा किए गए दौरें	16-19
अध्याय -6.	केंद्र तथा राज्यों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन	20-27
अध्याय -7.	सांविधिक और विधिक रक्षोपायों के कार्यकरण मॉनीटरन संबंधी रिपोर्ट तथा रक्षोपायों को प्रभावी रुप से लागू करने के लिए सिफारिशें	28-31
अध्याय -8.	अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने की विनिर्दिष्ट शिकायते	32-37
अध्याय -9.	अल्पसंख्यको के सामाजिक- आर्थिक और शैक्षिक विकास से संबंधित मुद्दों पर आयोग द्वारा किया गया विश्लेषण	38-45
अध्याय -10.	आयोग का प्रशासनिक ढांचा (वित्त एवं लेखा तथा राजभाषा / नीति कार्यान्वयन सहित)	46-47
अध्याय -11.	आयोग की सिफारिशें	48-49
अनुलग्नक -I	तारीख 23 अक्टूबर, 1993 की राजपत्रित अधिसूचना	50
अनुलग्नक -II	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का संगठनात्मक चार्ट	51
अनुलग्नक -III	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में स्वीकृत पदों और रिक्तियों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण	52-54

अध्याय -1

परिचय

1.1 अल्पसंख्यक आयोग - गृह मंत्रालय की इकाई के रुप में जनवरी, 1978 में गठित एक असांविधिक निकाय

धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों को प्रदान किए गए संवैधानिक तथा विधिक सुरक्षोपायों के प्रवर्तन एवं कार्यान्वयन के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने गृह मंत्रालय की एक इकाई के रुप में जनवरी, 1978 में अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की थी। तारीख 12.01.1978 के संकल्प के अनुसार अल्पसंख्यक आयोग से यह अपेक्षा की गई थी कि वह धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों को सुरक्षा प्रदान करें। संकल्प के पैरा 3 में अनुबद्ध है कि संविधान के अनुच्छेद 350-ख में निर्दिष्ट भाषाई अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारी अल्पसंख्यक आयोग के सचिव के रुप में कार्य करेंगे। 1984 में अल्पसंख्यक आयोग को गृह मंत्रालय से अलग कर दिया गया और इसे नए रुप से गठित करके कल्याण मंत्रालय में शामिल किया गया। 1978 के संकल्प में संशोधन करके तारीख 30.03.1988 को एक और संकल्प पारित किया गया जिसमें यह उपबंध किया गया कि अल्पसंख्यक आयोग केवल धर्म पर आधारित अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करने के संबंध में कार्य करेगा तथा संविधान के अनुच्छेद 350-ख के तहत नियुक्त विशेष अधिकारी (सामान्यतः जिसे भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त के रुप में जाना जाता है) आयोग के सचिव के रुप में कार्य नहीं करेगा जैसा कि मूल रुप से निर्धारित किया गया था।

1.2 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

अल्पसंख्यक आयोग का गठन जनवरी, 1978 में गृह मंत्रालय के द्वारा जारी संकल्प द्वारा किया गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के अधिनियमन के बाद से यह एक सांविधिक निकाय बन गया और इसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के रुप में पुनः नामित किया गया। प्रथम सांविधिक राष्ट्रीय आयोग का गठन 05.07.1993 को किया गया था। राष्ट्रीय

अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992, दिनांक 08.09.1995 को संशोधित किया गया। अधिनियम की धारा 2 (ख) तथा 3 (2) में संशोधन करके आयोग में उपाध्यक्ष पद के लिए उपबंध किया गया। अधिनियम में 1995 में किए गए संशोधन के साथ आयोग में सदस्यों की संख्या (अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सहित) 7 कर दी गई। अधिनियम की धारा 3(2) के अंतर्गत परन्तुक में अनुबद्ध है कि आयोग में अध्यक्ष सहित पांच सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय के होंगे। कल्याण मंत्रालय द्वारा तारीख 23.10.1993 को जारी गजट अधिसूचना के अनुसार पांच धार्मिक समुदायों नामतः मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध तथा पारसी समुदाय को अल्पसंख्यक समुदायों के रुप में अधिसूचित किया गया है। तारीख 23.10.1993 के गजट अधिसूचना की प्रति अनुलग्नक -I के रुप में संलग्न हैं।

1.1 <u>राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 9(1) के अनुसार आयोग से निम्नलिखित कार्य करने की अपेक्षा की जाती है :-</u>

(क) केन्द्र और राज्यों के अन्तर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के विकास में हुई प्रगति का मूल्याकंन करना ;

(ख) संविधान में उपबंधित अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षोपायों तथा संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा अधिनियमित विधियों में उपबंधित सुरक्षोपायों के क्रियान्वयन को मॉनीटर करना ;

(ग) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करने से संबंधित सुरक्षोपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करना ;

(घ) अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों और संरक्षण से वंचित रखने से संबंधित अलग-अलग शिकायतों की जांच करना तथा ऐसे मामलों को उपयुक्त प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना ;

(ड.) अल्पसंख्यकों के प्रति कोई भेद-भाव बरतने के कारण उत्पन्न समस्या की जांच करना तथा उनके निराकरण के लिए सुझाव प्रस्तुत करना ;

(च) अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक विकास से संबंधित मुद्दों का अध्ययन, अनुसंधान एवं विश्लेषण करना ;

(छ) किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग के संबंध में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों द्वारा की जाने वाली उपयुक्त कार्रवाई के संबंध में सुझाव प्रस्तुत करना ;

(ज) केन्द्र सरकार के समक्ष आवधिक अथवा विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा अल्पसंख्यकों से संबंधित कोई भी मामला तथा विशेष रुप से उनके सम्मुख आई समस्याओं को केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना ; तथा

(झ) केन्द्र सरकार द्वारा आयोग को निर्दिष्ट अन्य कोई भी मामला ।

1.4 इस अधिनियम की धारा 9 (4) के उपबंध के अनुसार आयोग के पास उक्त पैरा 1.3 के उप-पैरा (क), (ख) और (घ) में सूचीबद्ध कार्यों का निष्पादन करते समय, किसी वाद के विचारण करने और विशेष रुप से निम्नलिखित मामलों के संबंध मे सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी :-

(क) भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को सम्मन भेजना और उसकी उपस्थिति प्रवर्तित करना और शपथ दिलाकर उसकी जांच करना ;
(ख) किसी दस्तावेज का पता लगाना और प्रस्तुत करना ;
(ग) शपथ-पत्र के संबंध में साक्ष्य प्राप्त करना ;
(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई सरकारी रिकार्ड या उसकी प्रति मांगना ;
(ङ.) साक्षियों और दस्तावेजों की जांच के लिए नोटिस जारी करना ; और
(च) कोई अन्य मामला, जिसे निर्धारित किया जाए ।

1.5 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (ग) में उपबंधित है कि अधिनियम के प्रयोजन के लिए अल्पसंख्यक से अभिप्राय केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित समुदाय से है ; अतः धारा 9 (1) में दिए गए आयोग के सभी कार्य अधिसूचित समुदायों से संबंधित हैं ।

1.6 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम की धारा 12 के अधीन आयोग से यह अपेक्षा किया गया है कि वह पिछले वित्त वर्ष की गतिविधियों का पूरा ब्यौरा देते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करे, और उसे केन्द्र सरकार को अग्रेषित करे ताकि अधिनियम की धारा 13 के अधीन उस वार्षिक रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई, ज्ञापन के साथ, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष [illegible] ।

अध्याय - 2

आयोग का गठन

2.1 अब तक पांच सांविधिक आयोगों का गठन किया जा चुका है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 4 (1) में उपबंधित है कि आयोग का अध्यक्ष तथा उसका प्रत्येक सदस्य पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक पद पर रहेगा। पहले सांविधिक आयोग का गठन न्यायमूर्ति मोहम्मद सरदार अली खान की अध्यक्षता में 05.07.1993 को किया गया था। दूसरे आयोग का गठन डा. ताहिर महमूद की अध्यक्षता में 26.11.1996 को किया गया। तीसरे आयोग का गठन न्यायमूर्ति मोहम्मद शमीम की अध्यक्षता में 21.01.2000 को किया गया तथा चौथे आयोग का गठन सरदार तरलोचन सिंह की अध्यक्षता में 07.02.2003 को किया गया।

2.2 वर्तमान पांचवा आयोग श्री एम.एच. अंसारी की अध्यक्षता में 03.03.2006 को गठित किया गया। केन्द्रीय सरकार द्वारा पांचवें सांविधिक आयोग के लिए दो अन्य सदस्यों श्री हरचरण सिंह जोश तथा वेन.लामा छोसफेल जोटपा को भी नामित किया गया। पांचवें सांविधिक आयोग के अध्यक्ष तथा दो अन्य सदस्यों ने तारीख 06.03.2006 को कार्यभार ग्रहण किया।

2.3 पांचवें सांविधिक आयोग के उपाध्यक्ष तथा तीन अन्य सदस्यों को केन्द्रीय सरकार द्वारा अभी नामित किया जाना है।

अध्याय - 3

आयोग की बैठकें

आयोग अपनी बैठकें नियमित रूप से आयोजित करता रहा जिनमें अल्पसंख्यकों से संबंधित विभिन्न मामलों के साथ-साथ उनके सामाजिक-आर्थिक और शिक्षा संबंधी मुद्दों और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की आंतरिक व्यवस्था के बारे मे निर्णय लिया गया । इस संबंध में दो प्रकार की आन्तरिक बैठकें आयोजित की गई उदाहरणार्थ (i) औपचारिक बैठकें तथा (ii) अन्य बैठकें । वर्ष 2005-06 के दौरान आयोग ने 3 औपचारिक बैठकें तथा 8 अन्य बैठकें आयोजित की । इन आन्तरिक बैठकों के अलावा, आयोग ने विशेष बैठकें, संगोष्ठियाँ तथा सम्मेलनों का भी आयोजन किया गया जिनका विवरण नीचे पैरा 3.1 से पैरा 3.4 में दिया गया है ।

3.1 राज्य की राजधानियों में समीक्षा बैठकें :-

जुलाई 2004 में, राज्यों की राजधानी मे बैठकें आयोजित करने की नई पद्धति शुरु की गई ताकि संबंधित राज्य सरकार में लंबित अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित मामलों की समीक्षा की जा सके । आयोग द्वारा यह संबंधित राज्यों की राजधानी में राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित करके यह समीक्षा की गई । वर्ष 2005-06 के दौरान 2 समीक्षा बैठकों का आयोजन किया गया, प्रथम बैठक तारीख 11-12 अप्रैल, 2005 को जयपुर में तथा दूसरी बैठक में तारीख 19-20 जुलाई, 2005 को कोलकाता आयोजित की गई थी । इन दो बैठकों में 40 मामलों की समीक्षा की गई । समीक्षा तथा बाद में अनुवर्ती कार्रवाई के फलस्वरूप 23 मामलों का निपटान किया जा सका ।

3.2 परस्पर सद्भाव बैठकें

बातचीत के माध्यम से भारत के बहुसांस्कृतिक स्वरूप को बनाए रखने के तौर-तरीकों पर चर्चा करने के लिए 10.05.2006 को प्रतिष्ठित विद्वानों की एक संगोष्ठी आयोजित की गई । आयोग द्वारा इस संगोष्ठी में दिए गए भाषणों का एक संकलन भी प्रकाशित किया गया । संगोष्ठी

का उद्घाटन डा.कर्ण सिंह, संसद सदस्य (राज्यसभा) के करकमलों द्वारा किया गया। संगोष्ठी में प्रतिष्ठित पत्रकार श्री कुलदीप नायर, न्यायमूर्ति राजेन्द्र सच्चर, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा, डा. मोहिन्दर सिंह, सदस्य, राष्ट्रीय धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक आयोग तथा जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रो. अख्तर-उल-वासे जैसे जाने - माने वक्ताओं ने भाग लिया।

3.2.1 06.09.2005 को आयोग ने हिन्दू और मुस्लिम समुदायों के प्रतिनिधियों के बीच पहली बार एक चर्चा का आयोजन किया। इस बैठक में श्री श्री रवि शंकर (आर्ट आफ लिविंग), स्वामी चिदानंद सरस्वती (परमार्थ आश्रम, ऋषिकेश), मौलाना काल्बे सादिक (उपाध्यक्ष, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड), ख्वाजा हसन सानी निजामी, सैयद सरवर चिश्ती (दरगाह शरीफ, अजमेर), खुर्शीद आलम खान (पूर्व गर्वनर), मौलाना शफी मोनिस (उपाध्यक्ष, जमात-ए-इस्लामिया), श्री सूरज भान, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा श्री कुंवर सिंह, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भाग लिया।

3.3 तारीख 28.09.2005 को मदरसों के प्रमुखों के साथ आयोजित बैठक

मदरसों की वास्तविक स्थिति को दर्शाने के लिए तारीख 28.09.2005 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा देश के चुनिंदा मदरसों के प्रमुखों की एक बैठक आयोजित की गयी। इस बैठक में नदवातुल उलेमा, लखनऊ तथा दारुल उलूम देवबंद के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। बैठक में ख्वाजा इफ्तखार अहमद (अध्यक्ष, इंटरनेशनल हार्मोनी फाउंडेशन ऑफ इंडिया), डा. नसीम अख्तर नदवी (नदावा तुल उलूम, लखनऊ) तथा मौलाना रिजवान आलम कासमी (मदरसा मेहदियन, दिल्ली) जैसे अन्य प्रतिष्ठित सदस्यों ने भाग लिया। आयोग के उपाध्यक्ष डा. एम.एस. उस्मानी ने उद्घाटन समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि मदरसों में आधुनिक विषयों की जानकारी देने की शुरुआत करना जरुरी है जिससे कि विद्यार्थी दूसरे समुदायों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके और कार्यबल में शामिल हो सकें।

3.4 पांचवे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा आयोजित पहला विचार-विमर्श सत्र

यद्यपि आयोग द्वारा अल्पसंख्यकों की शिकायतों का निवारण केन्द्र/राज्य सरकारों से रिपोर्ट प्राप्त करके किया जाता है लेकिन अल्पसंख्यकों की सामाजिक-आर्थिक समस्याओं का निदान खासतौर पर उन कारकों का पता लगा कर, जो उनके अधिकारों से वंचित करने / उनके प्रति भेदभाव बरतने के लिए जिम्मेदार हैं तथा उनका समाधान अल्पसंख्यकों के बुद्धिजीवी वर्ग तथा नेताओं से बातचीत करके ही किया जा सकता है । इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पांचवे सांविधिक आयोग ने प्रतिष्ठित बुद्धिजीवियों तथा समुदाय के नेताओं के साथ विचार-विमर्श सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया । पहले सत्र का आयोजन 24.03.2006 को किया गया था । इस पहले विचार-विमर्श सत्र में भाग लेने वाले सदस्य थे : डा. अमरीक सिंह, पूर्व कुलपति, पंजाबी विश्वविद्यालय, श्री सैयद शहाबुद्दीन, अध्यक्ष, अखिल भारतीय मुस्लिम मजलिस-ए-मुशवरत, रेव. विन्सेंट कोन्सैसाओ, आर्चबिशप, दिल्ली, सुश्री जोया हसन, प्रोफेसर, जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय तथा डा. भालचन्द्र मुंगेकर, सदस्य, योजना आयोग ।

3.4.1 तारीख 24.03.2006 को आयोजित किए गए पहले विचार-विमर्श सत्र में वक्ताओं द्वारा दिए गए सुझावों को संक्षेप में नीचे प्रस्तुत किया गया है :-

(i) संसद के दोनों सदनों में आयोग की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सरकार द्वारा एक समयबद्ध प्रणाली विकसित की जाए जिससे कि संसद सदस्य इस बात से अवगत हो सकें कि आयोग ने अल्पसंख्यक समुदायों के लिए क्या-क्या कार्य किए ।

(ii) अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पैटर्न पर अल्पसंख्यकों के लिए भी एक संयुक्त संसदीय समिति (जे.पी.सी.) गठित की जानी चाहिए । यह संयुक्त संसदीय समिति इस बात का [illegible] किए बिना कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की वार्षिक रिपोर्टों को संसद में प्रस्तुत किया गया है या नहीं, इन रिपोर्टों की जांच कर सकती है ।

(iii) उन जिलों का पता लगाया जाए जिनमें अल्पसंख्यक समुदाय पर्याप्त संख्या में हैं [illegible]

7

(iv) आयोग को सांप्रदायिक हिंसा (निवारण, नियंत्रण तथा दंगापीड़ितों का पुनर्वास) विधेयक, 2005 के उपबंधों की समीक्षा करनी चाहिए जिसे संसदीय स्थायी समिति को निर्दिष्ट किया गया था तथा स्थायी समिति को उसके विचारों से अवगत करना चाहिए ।

(v) संतानहीन ईसाई दंपत्ति या अन्य ईसाई जो बच्चों को दत्तक ग्रहण करना चाहते हैं लेकिन वे चाह कर भी कानूनी रुप से ऐसा नहीं कर सकते । वर्ष 2003 में एक बार केन्द्र सरकार द्वारा संसद में ईसाई दत्तक विधेयक पेश करने का प्रयास किया गया था । आयोग को इस मसले पर विचार करना चाहिए क्योंकि यह ईसाई समुदाय की सबसे बड़ी शिकायत है ।

(vi) आयोग श्रम मंत्रालय से यह सिफारिश कर सकता है कि घरेलू कर्मकारों को प्रस्तावित असंगठित श्रम विधेयक के अंतर्गत शामिल किया जाए जिससे कि उनके शोषण को कम किया जा सके तथा मानव दुर्व्यापार पर रोक लगाई जा सके ।

(vii) आयोग अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक तथा विधिक सुरक्षोपायों के कार्यान्वयन के मॉनीटरन पर अनुसंधान अध्ययन करने पर विचार कर सकता है ।

(viii) अल्पसंख्यकों के संबंध में अध्ययन करने जैसे किसी भी सार्थक कार्य को करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बजट में मात्र 3.38 करोड़ रु. का प्रावधान रखना पर्याप्त नहीं है । आयोग को बजट प्रावधान में वृद्धि कराने के संबंध में उपाय करने चाहिए ।

(ix) अनुसूचित जातियों के लिए तैयार की गई विशेष संघटक योजना के अनुरुप अल्पसंख्यक समुदायों के लिए भी विशेष संघटक योजना तैयार की जा सकती है जिससे कि उनके सामाजिक-आर्थिक विकास को गति प्रदान की जा सके ।

अध्याय - 4

वर्ष की मुख्य घटनाएं

वर्ष 2005-06 के दौरान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की प्रमुख गतिविधियाँ इस अध्याय के पैरा 4.1 से 4.4 में दी गई है :-

4.1 **वर्ष 2002 के गुजरात दंगों के कारण प्रभावित व्यक्तियों / परिवारों को राहत प्रदान करने / उनका पुनर्वास करने और राज्य में शांति एवं सदभाव बनाए रखने की दिशा में आयोग द्वारा किए गए प्रयास**

गुजरात में सांप्रदायिक उपद्रव से संबंधित समाचार मिलते ही आयोग ने मुस्तैदी से अपनी कार्रवाई शुरु कर दी थीं । आयोग के लगातार हस्तक्षेप के परिणामस्वरुप ही दंगा पीड़ित व्यक्तियों / परिवारों को राहत प्रदान करने, उनका पुनर्वास करने संबंधी कार्रवाईयों के समग्र ढांचे को एक ठोस रुप प्रदान किया जा सका । तारीख 06.07.2003 को अहमदाबाद में चौथे सांविधिक आयोग के दौरान राज्य सरकार के अधिकारियों ने आयोग के समक्ष एक विस्तृत रिपोर्ट (01.06.2003 को यथा विद्यमान) प्रस्तुत की जिसमें विभिन्न प्रकार की राहतों / पुनर्वास उपायों का उल्लेख किया गया था जैसे कि मृत्यु होने पर मुआवजा, चोट लगने पर सहायता, दंगा पीड़ित परिवारों को घरेलू सामान (हाउस होल्ड किटें) प्रदान करना, राहत कैम्पों में आश्रय लेने वालों को नकद भत्ता प्रदान करना , आवास सहायता, अर्नक आस्ति सहायता, छोटे व्यवसायों को सहायता प्रदान करना तथा औद्योगिक ईकाईयों, दूकानों, होटलों आदि को सहायता प्रदान करना । वर्ष 2004-06 में नई दिल्ली, अहमदाबाद तथा गांधीनगर में गुजरात के सरकारी अधिकारियों के साथ की गई कई बैठकों के माध्यम से तथा पत्र व्यवहार के जरिए आयोग द्वारा राहत / पुनर्वास कार्यों का गहन मॉनीटरन किया गया ।

4.1.1 तारीख 04.07.2003 को आयोजित आयोग की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने गुजरात के मुख्यमंत्री को अर्धशासकीय पत्र लिखा जिसमें उन्होंने बेस्ट बेकरी मामले में न्यायालय के निर्णय पर क्षोभ व्यक्त करते हुए पुलिस द्वारा [illegible] और [illegible] की अपेक्षा की । तारीख 04.07.2003 के

अपने पत्र में अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने गुजरात के मुख्यमंत्री को निर्णय के विरुद्ध अपील दायर करने तथा अपील दायर करने के लिए प्रतिष्ठित वकील नियोजित करने का सुझाव दिया था जिससे कि सही स्थिति प्रस्तुत की जा सके। गुजरात सरकार ने अध्यक्ष की यह सिफारिश स्वीकार कर ली तथा गुजरात उच्च न्यायालय में अपील दायर की। आयोग ने तारीख 21.07.2003 को केन्द्रीय मंत्री, विधि एवं न्याय के साथ बैठक आयोजित की। इस बैठक में आयोग ने सुझाव दिया कि केन्द्र सरकार सांप्रदायिक दंगों की स्थिति में साक्षियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए उपयुक्त विधान लागू करने तथा 'फास्ट ट्रैक न्यायालय' गठित करने के संबंध में विचार कर सकती है जिससे कि सांप्रदायिक दंगों से संबंधित मामलों में शीघ्रातिशीघ्र निर्णय दिए जा सकें। आयोग ने यह सुझाव दिया कि राज्य में अन्वेषण एवं अभियोजन एजेंसियां स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होनी चाहिए। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने यह सुझाव भी दिया कि साक्षियों को झूठी गवाही देने के लिए धमकी देने वालों को दंड दिया जाना चाहिए। 2004 में, केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इन प्रस्तावों को मंजूर कर लिया था और इस संबंध में संसद में विधेयक प्रस्तुत करने का निर्णय ले लिया था। 23.11.2004 को आयोग ने प्रतिष्ठित विधिवेत्ताओं, विधिक विशेषज्ञों तथा अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की जिससे कि सांप्रदायिक हिंसा के संबंध में प्रस्तावित विधान पर उनके विचारों को सूत्रबद्ध किया जा सके। बैठक का कार्यवृत्त गृह मंत्रालय, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय और विधि एवं न्याय मंत्रालय तथा सभी सहभागियों को भेजा गया। इसके बाद ही गृह मंत्रालय द्वारा संसद में सांप्रदायिक हिंसा (निवारण, नियंत्रण तथा दंगा पीड़ितों का पुनर्वास) विधेयक, 2005 पेश किया गया।

4.2 गौतम बुद्ध नगर में पुलिस द्वारा तीन मुस्लिम युवकों की हत्या

तारीख 16.03.2005 को उर्दू दैनिक 'कोमी आवाज' में खबर छपी कि गाजियाबाद के निकट दादरी में तीन मुस्लिम युवकों की हत्या की दी। अखबार में छपी रिपोर्ट से पता चला कि उन युवकों को पूछताछ के लिए कासना पुलिस स्टेशन लाया गया था। पुलिस की नृशंसता के शिकार युवकों के परिवार वालों को पुलिस द्वारा यह सूचना दी गई कि युवकों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया था। लेकिन तारीख 11.03.2005 से लेकर 13.03.2005 तक 3 दिन में यह रहस्य

सामने आया कि उन युवकों की पुलिस द्वारा हत्या कर दी गई थी तथा उनके शव कहीं फेंक दिए गए थे । रिपोर्ट से यह भी पता चला कि कासना पुलिस स्टेशन के थाना प्रमुख (एस.एच.ओ.) तथा अन्य पुलिस कर्मी, जिनका उक्त तीन मुस्लिम युवकों की नृंशस हत्या में हाथ था, लापता थे ।

4.2.1 आयोग ने उप महानिरीक्षक (पुलिस), लखनऊ से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी । उत्तर प्रदेश सरकार के पुलिस मुख्यालय से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई, उससे निम्न स्थिति का पता चला :-

(i) सर्वश्री अरशद, आसिफ और मेहरबान ये तीन मुस्लिम लड़कें, जिनकी आयु 16 से 18 वर्ष के बीच थी, कबाड़ीवालों के यहां पुरानी वस्तुएं बेचने का काम करते थे । तारीख 26.09.2004 को ये तीनों अपना काम करने के लिए ग्रेटर नोएडा के सेक्टर - I में गए तो वहां तीन लड़कों तथा तीन स्थानीय ठेकेदारों के बीच कुछ झगड़ा हो गया, ठेकेदारों ने उन पर पीतल की टोंटियां चुराने का आरोप लगाया था । मुस्लिम लड़के उन पर लगाए इस आरोप से इंकार कर रहे थे । कुछ प्राईवेट सुरक्षा गार्ड (सर्वश्री विवेक तथा रमेश पाल) उन दोनों पक्षों यानि मुस्लिम लड़कों और ठेकेदारों को कासना पुलिस स्टेशन ले गए ।

(ii) तारीख 01.03.2005 को गौतम बुद्ध नगर के (स्टेशन अधीक्षक, पुलिस) एस.एस. पी. को घटना की जानकारी दी गई । उन्होंने क्षेत्रीय अधिकारी, ग्रेटर नोएडा को इस मामले की छानबीन करने का आदेश दिया । कासना पुलिस स्टेशन के पूर्व एस.एच.ओ. तथा अन्य 10 पुलिस कर्मियों, जिन्हें तीन मुस्लिम युवकों की नृशंस हत्या में लिप्त पाया गया था, के खिलाफ भा.द.सं. की धारा 342 और 364 के तहत मामला दर्ज किया गया । पूर्व एस.एच.ओ. तथा अन्य सभी पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया ।

(iii) इस मामले में सी.बी.सी.आई.डी. (अपराध शाखा) द्वारा मार्च, 2005 में राज्य सरकार में जांच शुरु की ।

4.2.2 अप्रैल, 2005 में महानिदेशक (पुलिस), उत्तर प्रदेश सरकार से आयोग ने पूर्व एस.एच.ओ. तथा 10 अन्य पुलिस कर्मियों, जो उक्त तीन मुस्लिम युवकों की हत्या में शामिल पाए गए थे, के संबंध में पूर्ण विवरण भेजने का अनुरोध किया तथा इस बात का कारण भी पूछा कि उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया तथा हत्या के शिकार युवकों के परिवारों को मुआवजा अदा क्यों नहीं किया गया। तारीख 05.05.2005 को डा. एम.एस. उस्मानी, उपाध्यक्ष, श्री ए.आर. शेरवानी, आयोग के सदस्य तथा विधि अधिकारी ने दादरी शहर तथा कासना गाँव का दौरा किया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के दल के दौरे के दौरान स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने उन्हें बताया कि संपत्ति कुर्क करने संबंधी कार्यवाही केवल पूर्व एस.एच.ओ. तथा दो अन्य अधिकारियों के विरुद्ध ही शुरु की जा सकी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को यह भी सूचित किया गया कि सी.बी.सी.आई.डी. की जांच चल रही थी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग दल ने गौतम बुद्ध नगर के जिला मजिस्ट्रेट और एस.एस.पी. से तुरंत दोषी पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार करने और उनके विरुद्ध अभियोजन कार्यवाही शुरु करने के साथ - साथ उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही शुरु करने की सिफारिश की। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग दल ने जिला मजिस्ट्रेट और एस.एस.पी. को यह भी कहा कि उन तीनों मुस्लिम युवकों के प्रत्येक परिवारों को 5.00 लाख रु. का मुआवजा अदा किया जाए जिनकी तारीख 26.09.2004 की रात कासना पुलिस स्टेशन में हत्या कर दी गई थी।

4.2.3 लेकिन इस मामले पर शायद ही कोई कार्यवाही की गई। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने तारीख 14.12.2005 को उत्तर प्रदेश सरकार के गृह सचिव, महानिदेशक (सी.बी.सी.आई.डी.) तथा अन्य पुलिस अधिकारियों को समन किया। तारीख 14.12.2005 को हुई सुनवाई में उत्तर प्रदेश सरकार ने आयोग को सूचित किया कि कासना पुलिस स्टेशन के 6 पुलिस कर्मियों, जिन्हें पहले निलंबित कर दिया गया था, को सेवा से बरखास्त कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने मृतक युवकों के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रु. का मुआवजा देने की सिफारिश मंजूर कर ली है तथा यह मुआवजा एक माह के भीतर अदा कर दिया जाएगा। उन्होंने आयोग को यह भी आश्वासन दिया कि राज्य सरकार दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध जांच करने तथा

कुर्की की कार्यवाहियों के संबंध में इलाहाबाद के उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश रद्द कराने के संबंध में भी शीघ्र कार्रवाई करेगी ।

4.2 .4 तारीख 23.01.2006 को आयोग को मृतक मुस्लिम युवकों के प्रत्येक परिवार को मुआवजे के रुप में 5 लाख रु. की राशि मंजूर किए जाने के बारे में सूचित किया । 01.02.2006 को एस.एस.पी., गौतम बुद्ध नगर द्वारा व्यक्तिगत तौर पर 5 लाख रु. की राशि के तीन चैक पीड़ित परिवारों को दिए गए । अभिरोपित पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध अभियोजन तथा संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही से संबंधित मामले पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है ।

4.3 अल्पसंख्यक अधिकार दिवस

चौथे आयोग ने 19.12.2005 को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जिसमें आयोग ने प्रतिष्ठित विद्वान डा. कर्ण सिंह, संसद सदस्य (राज्य सभा) को राष्ट्रीय एकता तथा सांप्रदायिक सद्भाव कायम करने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2005 के 'सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार' दिया गया । डा. कर्ण सिंह को यह पुरस्कार भारत के माननीय उप राष्ट्रपति श्री भैरों सिंह शेखावत के करकमलों द्वारा दिया गया तथा उन्होंने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा 19.12.2005 को कन्स्टीचयूशन क्लब, रफी मार्ग, नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता भी की थी ।-

4.4 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक स्तर प्रदान करने के लिए दिसंबर, 2004 में लोक सभा में 'संविधान (103 वां संशोधन) विधेयक, 2004' प्रस्तुत किया गया - लोक सभा सचिवालय को संसूचित विधेयक पर आयोग के विचार

23 दिसंबर, 2004 को लोक सभा में 'संविधान (103 वां संशोधन) विधेयक, 2004' पेश किया गया था जिसका उद्देश्य संवैधानिक निकाय में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के स्तर का उन्नयन करने के लिए संविधान में नया अनुच्छेद (अनुच्छेद 340-क) शामिल करना था । लोकसभा में पेश किए जाने के बाद बिल सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता से संबंधित संसदीय स्थायी समिति को निर्दिष्ट कर दिया गया था । लोक सभा सचिवालय ने 08.06.2005 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जिसमें बिल के संबंध में सुझाव मांगे गए थे । 16.06.2005 को आयोग ने

आयोजित एक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आयोग के विचार लोकसभा सचिवालय को भेजे जाएं । इस निर्णय के अनुसरण में आयोग को ज्यादा शक्तियां प्रदान करने के लिए विधेयक में परिवर्तन करने से संबंधित प्रारंभिक सुझाव दिए गए तथा आयोग के उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के अनुमोदन से 17.06.2005 को प्रारंभिक सुझाव लोकसभा सचिवालय को भेज दिए गए ।

4.4.1 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का पत्र प्राप्त होने पर लोकसभा सचिवालय ने सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता संबंधी संसदीय स्थायी समिति के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आयोग को आमंत्रित किया । राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का एक प्रतिनिधि मंडल जिसमें डा. एम.एस. उस्मानी, उपाध्यक्ष तथा लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) ए.एम. सेठना तथा श्री ए.आर. शेरवानी सदस्य रूप में थे तथा श्री देव स्वरूप, सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 14.09.2005 को संसदीय स्थायी समिति के समक्ष उपस्थित हुए तथा उसने विधेयक के संबंध में आयोग के निम्नलिखित विचारों को प्रस्तुत किया :-

(i) आयोग का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों पर विचार करते हुए भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएं । समिति के दो अन्य सदस्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता केन्द्रीय मंत्री तथा लोक सभा में विपक्ष का नेता होने चाहिए ।

(ii) प्रस्तावित संवैधानिक निकाय के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की सेवा शर्तों तथा पदावधि संबंधी नियम बनाए जाने के संबंध में विधेयक में उपबंध के अंतर्गत उन नियमों को भी शामिल किया जाए जिनमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों को हटाए जाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया हो ।

(iii) विधेयक में यह उपबंध किया जाए कि राष्ट्रपति को आयोग की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के छः माह के अंदर केन्द्रीय सरकार संसद के समक्ष लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

(iv) विधेयक में यह भी उपबंध किया जाए कि राष्ट्रपति के समक्ष आयोग की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के एक वर्ष के अंदर केन्द्र सरकार संसद के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई का ज्ञापन प्रस्तुत करेगी ।

(v) अल्पसंख्यकों को अधिकारों और सुरक्षा से वंचित करने से संबंधित शिकायतों के बारे में पूछताछ करने और उनकी जांच पड़ताल करने के लिए प्रस्तावित संवैधानिक निकाय को सशक्त करने से संबंधित विधेयक में विशिष्ट उपबंध किए जाएं !

(vi) प्रस्तावित संवैधानिक निकाय 'पूछताछ और जांच - पड़ताल' करने की अपनी शक्तियों का प्रभावी रुप से प्रयोग कर सकें । इसके लिए नियम बनाने संबंधी विधेयक के उपबंध में इस बात का उल्लेख किया जाए कि प्रस्तावित संवैधानिक निकाय में पर्याप्त रुप से वरिष्ठ और योग्य पुलिस तथा अन्वेषण अधिकारियों और अन्य प्रशासनिक व तकनीकी स्टाफ की तैनाती के लिए भी नियम बनाए जाएं ।

(vii) प्रस्तावित संवैधानिक निकाय को सिविल न्यायालय को शक्तियां प्रदान करने की मांग करने वाले विधेयक में यह उपबंध किया जाए कि आयोग के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही भा.द.सं. की धारा 193 तथा 228 के आशय के अंदर न्यायिक कार्यवाही मानी जाए ।

(viii) विधेयक में यह उपबंध किया जाए कि प्रस्तावित संवैधानिक निकाय के व्यय, जिनमें आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल है, भारत की समेकित निधि पर प्रभारित किए जाएंगे ।

4.4.2 31 मार्च, 2006 तक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में विधेयक में उक्त परिवर्तनों को शामिल करने संबंधी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी ।

अध्याय - 5

आयोग द्वारा किए गए दौरें

आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों ने अल्पसंख्यक समुदायों की विभिन्न समस्याओं पर प्रत्यक्ष रूप से व्यापक सूचना प्राप्त करने के लिए देश के विभिन्न भागों के दौरे किए। 2005-06 के दौरान आयोग द्वारा किए गए महत्वपूर्ण दौरों का विवरण इस अध्याय के पैरा 5.1 से 5.3 में दिया गया है :-

5.1 रायपुर का दौरा

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को छत्तीसगढ़ केन्द्रीय सिक्ख पंचायत, दुर्ग (छत्तीसगढ़), श्री गुरु सिंह सभा, गांधी धाम (कच्छ) और श्री गुरु सिंह सभा सिंगरौली (मध्य प्रदेश) से अभ्यावेदन प्राप्त हुए कि कुछ समय से भिलाई रिफ्रैक्टरी संयंत्र का एक वरिष्ठ अधिकारी उसी संयंत्र के एक सिक्ख अधिकारी को परेशान कर रहा है और उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचा रहा है। भिलाई रिफ्रैक्टरीज संयंत्र भारत रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड की एक यूनिट है जो कि एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। आयोग की सदस्या श्रीमती के. सांथा रेड्डी ने 15.11.2005 को रायपुर का दौरा किया और भारत रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड के अधिकारियों से मामलें पर विचार विमर्श किया। बातचीत से पता चला कि सिक्ख अधिकारी को वास्तव में परेशान किया जा रहा था तथा उसके धर्म के प्रति असंयमित भाषा का प्रयोग किया जा रहा था। सिक्ख अधिकारी के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार से भिलाई रिफ्रैक्टरीज संयंत्र में कार्य वातावरण खराब होने की संभावना थी तथा इससे भिलाई नगर में सिक्ख समुदाय में गहरा रोष उत्पन्न हो सकता था जिससे क्षेत्र में सांप्रदायिक सौहार्द की भावना असामान्य हो सकती थी। श्रीमती के. सांथा रेड्डी, सदस्य, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने 16.11.2005 को रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की और इस आंशका से उन्हें अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि राज्य सरकार सांप्रदायिक तनाव समाप्त करने के लिए पूर्ण एहतियात बरतेगी। दिसंबर, 2005 में आयोग ने छत्तीसगढ़ सरकार के गृह विभाग से दुर्ग के जिला प्रशासन को स्थिति पर पर्याप्त निगरानी रखने की सलाह देने का अनुरोध किया था।

5.2 जनवरी, 2006 में अहमदाबाद का दौरा

तारीख 06.01.2006 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सरदार तरलोचन सिंह के नेतृत्व में आयोग के एक प्रतिनिधि मंडल ने गुजरात राज्य में 2002 में हुए दंगों से प्रभावित लोगों के लिए गुजरात सरकार द्वारा किए गए राहत / पुनःउद्धार उपायों की समीक्षा की। गुजरात सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित इस समीक्षा बैठक में आयोग के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) ए.एम. सेठना, श्री ए.आर. शेरवानी तथा श्री वी.वी. ऑगस्टीन ने भाग लिया। समीक्षा के दौरान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग प्रतिनिधि मंडल को यह सूचित किया गया कि 2002 के दंगा पीड़ितों के लिए मृत्यु होने की स्थिति में मुआवजे के भुगतान के लिए तथा राहत / पुनःउद्धार उपायों के लिए गुजरात सरकार द्वारा कुल 204.62 करोड़ रु. की राशि व्यय की गई है। 204.62 करोड़ रु. की राशि में से 133.79 करोड़ रु. की राशि प्रधानमंत्री के इकनोमिक पैकेज से प्राप्त हुई तथा शेष 70.83 करोड़ रु. की राशि राज्य सरकार द्वारा व्यय की गई थी। गुजरात सरकार को प्रधानमंत्री के इकनोमिक पैकेज से कुल 155.61 करोड़ रु. की राशि प्राप्त हुई। 155.61 करोड़ रु. की इस राशि में से 19.10 करोड़ रु. की राशि (155.61-133.79) राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को लौटा दी गई। 12.01.2006 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को अ.शा.पत्र लिखा जिसमें यह प्रस्ताव रखा कि 19.10 करोड़ रु. की उक्त राशि इस निर्देश के साथ राज्य सरकार को लौटा दी जाए कि यह राशि न 1169 व्यक्तियों के परिवारों के बीच, जो दंगों के दौरान मारे गए अथवा दंगापीड़ितों के लिए अतिरिक्त आवासीय अनुदान के रुप में बढ़े हुए अनुदान के रुप में वितरित कर दी जाए। प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष का यह अ.शा.पत्र 17.01.2006 को प्राप्त हुआ था। 12.01.2006 को अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे गए उक्त अ.शा.पत्र की एक प्रति आयोग द्वारा 12.01.2006 को गुजरात के मुख्य सचिव को अग्रेषित कर दी गई थी।

5.3 जनवरी, 2006 में पटना का दौरा

आयोग ने 30.03.2005 को आयोजित अपनी बैठक में सर्वसम्मति से यह संकल्प लिया कि चूंकि [illegible] संविधान के अनुच्छेद 23 के [illegible] नहीं है

अतः 1949 अधिनियम को या तो संशोधित किया जाए या उसे निरस्त कर दिया जाए तथा उपयुक्त विधान अधिनियमित किया जाए जिससे कि बौद्ध गया मठ का प्रबंध विशिष्ट रुप से बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा ही किया जाए। बैठक के तुरंत बाद संकल्प राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सचिव द्वारा आयोग की इस सांविधिक सिफारिश को कार्यान्वित करने के रुप में तारीख 12.04.2005 के अ.शा.पत्र द्वारा बिहार के मुख्य सचिव को अग्रेषित कर दिया गया था। तारीख 15.04.2005 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने 30.03.2005 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा लिए गए संकल्प की ओर बिहार के राज्यपाल का ध्यान भी आकर्षित किया गया।

5.3.1 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सरदार तरलोचन सिंह ने इस मामले पर बिहार के मुख्यमंत्री से चर्चा करने के उद्देश्य से तारीख 20.01.2006 को पटना का दौरा किया। पटना के दौरे पर अध्यक्ष महोदय के साथ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के संयुक्त सचिव श्री अतनु बैनर्जी भी गए तथा वे तारीख 20.01.2006 को सांय 6 बजे बिहार के मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में भी उपस्थित थे।

5.3.2 अक्तूबर, 1989 में, भागलपुर जिले के कई इलाकों में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे जिन से लगभग 1500 लोगों की जानें गई और करीब 300 लोग घायल हो गए। तारीख 23.01.1990 को पूर्व अल्पसंख्यक आयोग के एक दल ने भागलपुर का दौरा किया था तथा उस दौरान ये सिफारिशें की कि अलग-अलग थानों में दर्ज एफ.आई.आर. में नामित अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाए तथा ड्यूटी की अवहेलना करने के दोषी पाए गए पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए तथा दंगापीड़ितों को मुआवजे का तत्काल भुगतान किया जाए। इन सिफारिशों को अल्पसंख्यक आयोग की वर्ष 1989-90 की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल कर लिया गया था जिसकी प्रतियां बिहार सरकार तथा केन्द्रीय गृह एवं कल्याण मंत्रालयों को भेजी गई थी। लेकिन अल्पसंख्यक आयोग को इन सिफारिशों के संबंध में बिहार सरकार से कोई जवाब नहीं मिला। जनवरी, 2006 में बिहार के मुख्यमंत्री ने 1989 के भागलपुर दंगों की नए सिरे से जांच कराने का आदेश दिया तथा भागलपुर दंगों पर एक श्वेत-पत्र निकालने का भी निर्णय लिया जिसमें

दंगापीड़ितों तथा उनके परिवारों को मुआवजा पैकेज किए जाने तथा दंगों से संबंधित सभी मुकदमों के परिणामों का उल्लेख किया गया हो जिससे कि यह पता लग सके कि कहीं कोई दोषी व्यक्ति कोई सजा भुगते बिना छूट तो नहीं गया । राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने तारीख 20.01.2006 को आयोजित बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री को यह सुझाव दिया कि भागलपुर दंगापीड़ितों को उसी प्रकार मुआवजा दिया जाए जिस प्रकार से केन्द्र सरकार ने 1984 में सिक्ख विरोधी दंगापीड़ितों के लिए 29.12.2005 को मृत्यु मुआवजा और राहत / पुनर्वास के लिए वित्तीय पैकेज अनुमोदित किया है । मुख्यमंत्री, बिहार से आयोग को श्वेत-पत्र की प्रति, जब भी उसे जारी किया जाए, भेजने की व्यवस्था करने का भी अनुरोध किया गया ।

5.4 मार्च, 2006 में अमृतसर का दौरा

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य श्री हरचरण सिंह जोश ने 17-19 मार्च, 2006 के बीच अमृतसर का दौरा किया । अमृतसर में श्री जोश ने सिक्ख समुदाय को प्रभावित करने वाली समस्याओं पर चर्चाएं की । ये समस्याएं निम्नलिखित हैः- कन्याओं के जन्मदर में तेजी से आती कमी, कन्या भ्रूण हत्या कराने पर रोक लगाने के उपाय करना, दहेज प्रथा और उसके कारण महिलाओं के स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव तथा सिक्ख विवाहों में पैसे यां संपत्ति का अनुचित रुप से दिखावा । शादियों में सादगी बरतने तथा उन पर कम खर्चा करने के उपायों पर तथा उन अर्थोपायों पर भी चर्चा की गई जिन्हें उन अनिवासी भारतीय सिक्खों के हितों के संरक्षण के लिए अपनाया जा सकता है जिनके विवाह हिन्दू विवाह अधिनियम के अधीन पंजीकृत किए जाते हैं जबकि अनिवासी भारतीय सिक्ख द्वारा बताया गया धर्म निःसंदेह सिक्ख धर्म होता है ।

5.4.1 श्री जोश ने खालसा विश्वविद्यालय, अमृतसर तथा अखिल भारतीय पिंगलवाड़ा न्यास द्वारा संचालित कुष्ठ आश्रम (लेपरोसी होम) का भी दौरा किया ।

अध्याय - 6

केंद्र तथा राज्यों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्याकंन

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा मई, 1983 में 15 सूत्री कार्यक्रम शुरु किया गया । कार्यक्रम का स्वरुप दिशानिर्देश देने जैसा है तथा इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के बीच सुरक्षा की भावना पैदा करना तथा उनका तेजी से सामाजिक--आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है । 15 सूत्री कार्यक्रम तीन चरणीय दृष्टिकोण पर आधारित है अर्थात् (i) सांप्रदायिक दंगों से उत्पन्न स्थिति से निपटना, (ii) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में नियोजित अल्पसंख्यक समुदायों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, तथा (iii) अन्य उपाय करना जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदायों को लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करना, धार्मिक-स्थलों का अनुरक्षण एवं विकास (वक्फ संपत्ति सहित) तथा अल्पसंख्यकों की शिकायतों का निवारण करना है ।

6.1 **15 सूत्री कार्यक्रम :-**

तारीख 01.07.1975 को घोषित 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम से पहले शुरु किया गया था । 15-सूत्री कार्यक्रम का 13 वां सूत्र ('अन्य उपायों' पर धारा के अनुरुप) नीचे दिया गया है :-

> "20 सूत्री कार्यक्रम सहित विभिन्न विकास कार्यक्रमों में यह देखने के लिए ध्यान दिया जाना चाहिए कि अल्पसंख्कों को मिलने वाले लाभ उचित एवं पर्याप्त ढंग से मिलें । ऐसे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को देखने के लिए जो विभिन्न समितियां बनाई गई हैं, उनमें ऐसे समुदायों के सदस्यों को भी सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए ।"

6.2 गृह मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इस कार्यक्रम के लिए नोडल एजेंसियां हैं । कानून एवं व्यवस्था से संबंधित पहलुओं को शामिल करने वाली राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की रिपोर्टें गृह मंत्रालय द्वारा सीधे प्राप्त की जाती है । शेष मदों पर रिपोर्टें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्राप्त की जाती है, जिनकी प्रतियां कई बार

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को भी भेजी जाती है । प्रगति रिपोर्ट छमाही आधार पर अर्थात् प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर तथा 31 मार्च को प्राप्त होती है । वर्ष 2005-06 में आयोग को अधिकतर राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों से छमाही रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुईं । इसलिए, कार्यक्रम के कार्यान्वयन का समुचित मॉनीटरन करना कठिन हो गया है ।

6.3 वर्ष 2005-06 के दौरान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को केवल चार राज्यों (हरियाणा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, असम) तथा संघ राज्य क्षेत्र (चण्डीगढ़) से ही 15 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में छमाही रिपोर्ट प्राप्त हुई । दुर्भाग्यवश, इन रिपोर्टों के अंतर्गत निर्दिष्ट अवधि एक नहीं है जैसा कि नीचे विनिर्दिष्ट किया गया है :-

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2005-06 के दौरान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को प्राप्त रिपोर्ट में शामिल की गई अवधि
हरियाणा	01.04.2005 से 30.09.2005 (रिपोर्ट राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में 10.03.2006 को प्राप्त हुई ।)
महाराष्ट्र	01.04.2004 से 31.03.2005 (रिपोर्ट राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में 07.11.2005 को प्राप्त हुई)
पश्चिम बंगाल	01.10.2004 से 31.03.2005 (रिपोर्ट राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में 13.03.2006 को प्राप्त हुई)
असम	01.04.2005 से 30.09.2005 (रिपोर्ट राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में 10.11.2005 / 06.12..2005 को प्राप्त हुई)
चण्डीगढ़	01.04.2005 से 30.09.2005 (रिपोर्ट राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में 10.02.2006 को प्राप्त हुई)

चार राज्यों तथा एक संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त रिपोर्टों के सार पैरा 6.3.1 से 6.3.5 में दिया गया है :-

6.3.1 हरियाणा (01.04.2005 से 30.09.2005 तक की अवधि)

हरियाणा में सिक्ख, मुस्लिम तथा ईसाई धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय हैं । हरियाणा के सिक्ख और ईसाईयों की स्थिति सामाजिक एवं आर्थिक रुप से अपेक्षाकृत बेहतर है । हरियाणा के मुस्लिम समुदाय की संख्या मेवात क्षेत्र में सबसे ज्यादा है जो कि आर्थिक एवं शैक्षिक रुप से पिछड़ा हुआ इलाका है । मेवात क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा सरकार ने 1980 में मेवात विकास बोर्ड (एम.डी.बी.) का गठन किया था । राज्य सरकार विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत मेवात विकास बोर्ड (एम.डी.बी.) को निधियां प्रदान करती है । वर्ष 2005-06 में इस बोर्ड के लिए 8 करोड़ रु. की राशि मंजूर की गई । इस राशि में से 1.29 करोड़ रु.की राशि 01.04.2005 से 30.09.2005 के दौरान व्यय की गई । सरकारी रोजगार अल्पसंख्यक समुदायों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम में दिए गए निर्देशों के संबंध में राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट में निर्दिष्ट किया है कि उप आयुक्तों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समीक्षा समितियां गठित की गई हैं तथा समितियों की बैठक नियमित रुप से आयोजित करने के कड़े अनुदेश दिए गए हैं । विभिन्न सेवाओं के लिए प्रवर समितियां गठित की गई हैं जिनमें सभी समुदायों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है । रोजगार निदेशालय में एक मॉनीटरन सेल की स्थापना की गई है जिससे कि अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति भेदभाव को रोका जा सके । अप्रैल, 2005 से सितंबर, 2005 तक की अवधि में अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों में भर्ती पूर्ण प्रशिक्षण कैम्प आयोजित किए गए । उन क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में रोजगार केन्द्रों की स्थापना की गई जहाँ अल्पसंख्यक समुदाय ज्यादा संख्या में हैं । 1.2 कि.मी. की दूरी के भीतर प्राथमिक विद्यालयों की सुविधा उपलब्ध है । मेवात में 553 सरकारी प्राथमिक विद्यालय तथा 30 मान्यता प्राप्त प्राईवेट प्राथमिक विद्यालय हैं । यासिन मियों डिग्री कॉलेज नूह के अलावा मेवात क्षेत्र में दो सरकारी कॉलेज भी है जिन्हें 95% सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है । अल्पसंख्यक वर्ग के इन विद्यार्थियों के लिए, जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 24,000/- रु. से कम है, निःशुल्क लेखन सामग्री तथा साईकिल खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की स्कीम है । इस स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2004-05 के दौरान 207 विद्यार्थियों को 2,18,300/- रु. की राशि संवितरित की गई थी । वर्ष 2005-06 में स्कीम में

अंतर्गत किए गए प्रावधान की राशि बढ़ाकर 5 लाख रु. कर दी गई तथा लाभार्थी परिवारों के लिए वार्षिक आय की उच्चतम सीमा 50,000/- रु. तक कर दी गई ।

6.3.1.1 छमाही रिपोर्ट में राज्य सरकार द्वारा यथा सूचित हरियाणा के अल्पसंख्यक समुदायों को दिए गए अन्य लाभ निम्न रुप से है :-

(i) वर्ष 1995-96 से मेवात विकास बोर्ड (एम.डी.बी.) भारत सरकार के मा.सं.वि. मंत्रालय द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता से मदरसों के आधुनिकीकरण की स्कीम कार्यान्वित कर रही है । इस स्कीम के तहत् मेवात क्षेत्र के पांच मदरसों को सहायता प्रदान की जा रही है । मेवात विकास बोर्ड (एम.डी.बी.) मदरसों में गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए प्रति मदरसा एक अध्यापक / अध्यापिका को 2200 रु. प्रति माह की दर से वेतन मुहैया करता है ।

(ii) शैक्षिक रुप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों के लिए उपचारी कोचिंग स्कीम शुरु की गई हैं । बहरहाल, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को भी इस स्कीम के अंतर्गत शामिल किया गया है । वर्ष 2004-05 में इस स्कीम में 4,52,000/- रु. की राशि खर्च की गई थी । इस स्कीम के लिए वर्ष 2005-06 के बजट प्रावधान में यह राशि 10 लाख रु. तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है । महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय तथा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कोचिंग केन्द्र संचालित कर रहा है । इन केन्द्रों में शैक्षिक रुप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त आरक्षण की व्यवस्था की गई है ।

(iii) अल्पसंख्यक बहुल मेवात क्षेत्र में दो व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र भी हैं ।

(iv) यद्यपि सरकारी स्कूलों / कॉलेजों में लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई हैं लेकिन राज्य सरकार ने मेवात इलाके में अभी तक लड़कियों के लिए छात्रावास की व्यवस्था नहीं की है ।

(v) मेवात क्षेत्र में नूहं, फिरोजपुर झिरका तथा नगीना में तीन औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र (आई.टी.आई.) हैं ।

(vi) अल्पसंख्यकों को ऋण उपलब्ध कराने के कार्य की प्रत्येक जिला बैंकिंग परामर्शदात्री समिति तथा राज्य स्तरीय बैंकर समिति तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है । सितंबर, 2005 के अंत तक मेवात जिले में अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण के रुप में कुल 83.62 करोड़ रु. की राशि उपलब्ध कराई जा सकती है । यह ऋण उपलब्धि वर्ष 2004-05 के लिए निर्धारित वार्षिक लक्ष्य का 62.9% था ।

6.3.2 महाराष्ट्र (01.10.2004 से 31.03.2005 तक की अवधि के लिए)

यह खेद की बात है कि महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को तारीख 01.10.2004 से तारीख 31.03.2005 तक की अवधि की छमाही प्रगति रिपोर्ट 8 माह के बाद भेजी । इस अवधि के लिए राज्य सरकार की रिपोर्ट आयोग को 07.11.2005 को प्राप्त हुई, महाराष्ट्र सरकार ने अपनी रिपोर्ट में सूचित किया कि राज्य में अल्पसंख्यकों के लिए ऐसा कोई शैक्षिक संस्थान नहीं हैं जहाँ विशिष्ट रुप से प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता हो । राज्य में नए 20-सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा और मॉनीटरन करने के लिए जिला स्तर पर कोई समिति नहीं है । राज्य सरकार की रिपोर्ट में अल्पसंख्यक समुदाय को दृष्टि में रखकर शायद ही कोई मूल्यांकन किया गया हैं । रिपोर्ट में कहीं भी यह नहीं बताया गया कि 15-सूत्री कार्यक्रम के किसी भी दिशा निर्देश को महाराष्ट्र में कार्यान्वित किया जा रहा है ।

6.3.3 पश्चिम बंगाल (01.10..2004 से 31.03.2005 की अवधि के लिए)

पश्चिम बंगाल सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को तारीख 01.10.2004 से तारीख 31.03.2005 तक की अवधि की अपनी छमाही प्रगति रिपोर्ट ग्यारह माह के बाद भेजी । इस अवधि के लिए राज्य सरकार की रिपोर्ट आयोग को 13.03.2006 को प्राप्त हुई । राज्य सरकार की छमाही रिपोर्ट में 31.03.2005 को पश्चिम बंगाल पुलिस तथा कोलकाता पुलिस में कर्मचारियों की संख्या का समुदाय - वार ब्यौरा दिया गया है । छमाही रिपोर्ट में दिए गए विवरणों की संवीक्षा करने से पश्चिम बंगाल तथा कोलकाता पुलिस कार्मिक बल में मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध तथा सिक्ख समुदायों के प्रतिनिधित्व की निम्न प्रतिशतता का पता चलता है :-

	मुस्लिम	ईसाई	बौद्ध	सिक्ख
पश्चिम बंगाल पुलिस (सशस्त्र एवं निःशस्त्र शाखाएं)	7.16%	0.56%	1.30%	0.08%
कोलकाता पुलिस (कोलकाता पुलिस विभाग, कोलकाता पुलिस सुरक्षा नियंत्रण संगठन (लिपिक वर्गीय) तथा कोलकाता पुलिस की विशेष एवं प्रवर्त्तन शाखाएं)	8%	0.2%	0.5%	0.03%

राज्य सरकार ने सूचित किया कि अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को 'डब्ल्यू.बी.सी.एस.' की परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए मौलाना आजाद कॉलेज, कोलकाता तथा रविन्द्र भारती विश्वविद्यालय में कोचिंग केन्द्रों की व्यवस्था की गई है । 31.03.2005 को समाप्त होने वाली छमाही अवधि में इन दोनों कोचिंग केन्द्रों में अल्पसंख्यक समुदायों के कुल 79 विद्यार्थी भर्ती हुए थे । इसी अवधि में राज्य सरकार को वक्फ संपत्ति पर अधिक्रमण की 105 शिकायतें प्राप्त हुई । इनमें से 89 शिकायतों का 31.03.2005 तक समाधान नहीं किया गया था । 31.03.2005 तक केवल एक वक्फ संपत्ति पर पूर्ण कब्जा लिया जा सका ।

6.3.4 <u>असम (01.04.2005 से 30.09.2005 तक की अवधि के लिए)</u>

तारीख 30.09.2005 को समाप्त होने वाली अवधि की छमाही रिपोर्ट असम सरकार द्वारा प्राप्त हुई । पहली रिपोर्ट 10.11.2005 को प्राप्त हुई तथा दूसरी रिपोर्ट 06.12.2005 को प्राप्त हुई । इन रिपोर्टों में केवल मात्र यह सूचना दी गई है कि असम पुलिस में अल्पसंख्यक समुदायों का प्रतिनिधित्व 13% है । इस बात पर खेद जताया गया कि अल्पसंख्यक बहुल जिलों यानि हैलाकांडी, गोलपारा तथा मोरीगांव में कोई औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र (आई.टी.आई.) नहीं है । एक आश्चर्यजनक तथ्य यह भी सामने आया कि अल्पसंख्यक बहुल जिलों करीमगंज, हैलाकांडी, दुबरी तथा बारपेटा में एक पॉलिटैक्निक तक नहीं है । राज्य के किसी भी शैक्षिक संस्थान में अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोई कोचिंग सेन्टर नहीं है । राज्य सरकार की रिपोर्टों में असम राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए चलाए गए विकासात्मक कार्यक्रमों का भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।

6.3.5 चण्डीगढ़ (01.04.2005 से 30.09.2005 तक की अवधि के लिए)

संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, चण्डीगढ़ के सभी 3 मदरसों में विज्ञान, गणित और अंग्रेजी विषयों को लाने के लिए 'प्रारंभिक बाल शिक्षा ' की व्यवस्था कर रहा है । यह सूचित किया गया है कि इस संघ राज्य क्षेत्र में कोई 'पिछड़े' अल्पसंख्यक समुदायों के शिल्पकारों और इनकी बहुलता वाला कोई क्षेत्र नहीं है । अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों / विषयों की शुरुआत की गई है । यद्यपि संघ राज्य - क्षेत्र प्रशासन ने सूचित किया है कि जिला स्तर की समीक्षा समिति है जो अल्पसंख्यक समुदायों को बैंक ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था को मॉनीटरन करने के लिए वर्ष में दो बार बैठकें आयोजित करती है लेकिन छमाही रिपोर्ट में मॉनीटरन करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है । रिपोर्ट के अंतर्गत शामिल की गई अवधि में अल्पसंख्यक समुदायों को मुहैया कराई गई बैंक ऋण की राशि का कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।

6.4 टिप्पणियां

वर्ष 2005-06 में आयोग को इस संबंध में कोई सूचना नहीं मिली कि राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा पांच अधिसूचित धार्मिक अल्पसंख्यकों के लाभ के लिए 15-सूत्री कार्यक्रम को सही ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है । इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए राज्य / संघ राज्यक्षेत्र सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की जवाबदेही के लिए कोई व्यवस्था नहीं है । कुछ राज्यों में राज्य / जिला समीक्षा समितियां नहीं बनाई गई है तथा यदि इन्हें बनाया भी जाता है तो समितियां 15-सूत्री कार्यक्रम तथा 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा करती हैं । 15-सूत्री कार्यक्रम में राज्य सरकारों को ऐसा कोई निर्देश नहीं है कि वे केन्द्र / राज्य सरकारों की लाभार्थी प्रधान स्कीमों के संबंध में प्रत्यक्ष लक्ष्य निर्धारित करें । राज्य सरकारों को 15-सूत्री कार्यक्रम के द्वारा यह निर्देश दिए जाने चाहिए कि वे स्वयं लाभार्थी - प्रधान स्कीमों में प्रत्येक तिमाही में प्रत्यक्ष लक्ष्य निर्धारित करें । आयोग ने यह भी पाया कि 15-सूत्री कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शायद ही कोई मॉनीटरन व्यवस्था की गई हो ।

6.4.1 15-सूत्री कार्यक्रम 01.07.95 को घोषित 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम से पहले शुरु किया गया था। 20-सूत्री कार्यक्रम का मूल उद्देश्य समाज के गरीब तथा अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों का सुधार करना है। 20-सूत्री कार्यक्रम को सबसे पहले 1982 तथा इसके बाद 1986 में पुनः तैयार किया गया था। इस समय 1986 के 20-सूत्री कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों में 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन का सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा गहनता पूर्वक मॉनीटरन किया जा रहा है। 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के मॉनीटरन की प्रक्रिया की उपलब्धियों का सार प्रतिवर्ष सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है। दुर्भाग्यवश, मॉनीटरन की ये व्यवस्थाएं 15-सूत्री कार्यक्रम में नहीं की गई हैं।

6.4.2 यह ज्ञातव्य है कि 15-सूत्री कार्यक्रम में संशोधन करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। संशोधित कार्यक्रम के अंतर्गत जवाबदेही संबंधी पहलू, उपयुक्त प्रत्यक्ष लक्ष्यों के निर्धारण तथा सुदृढ़ मॉनीटरन प्रणाली की व्यवस्था करने के बारे में विचार किया जा सकता है।

अध्याय - 7

सांविधिक और विधिक रक्षोपायों के कार्यकरण के मॉनीटरन संबंधी रिपोर्ट तथा रक्षोपायों को प्रभावी रुप से लागू करने के लिए सिफारिशें

अल्पसंख्यकों से संबंधित सांविधानिक और विधिक रक्षोपायों के मॉनीटरन के लिए आयोग द्वारा वर्ष 2005-06 के दौरान किए गए मुख्य कार्य इस प्रकार हैं :-

7.1 डुंगरगढ़ में सांप्रदायिक अशांति से प्रभावित परिवारों को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के हस्तक्षेप के परिणामस्वरुप मुआवजे का भुगतान

अगस्त, 2005 में आयोग को छत्तीसगढ़ सरकार से सूचना प्राप्त हुई कि छत्तीसगढ़ के राजनंदगांव जिले के डुंगरगढ़ नगर में सांप्रदायिक अशांति से प्रभावित 6 सिक्ख परिवारों और 3 हिन्दू परिवारों के लिए कुल 1.81 लाख रु. की राशि मंजूर कर दी गई है । आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार के गृह विभाग और राजनंदगांव के जिला मजिस्ट्रेट के साथ मामले को गंभीरता से उठाए जाने के फलस्वरुप ऐसा संभव हो पाया ।

7.1.1 डुंगरगढ़ नगर में 07.02.2005 को हिंदू, मुसलमान और सिक्ख समुदायों के कुछ युवाओं के बीच हुई घटना की वजह से सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई । स्थानीय सिक्खों की पांच दुकानों को भीड़ ने लूट लिया और नष्ट कर दिया । इनमें से एक दुकान पूरी तरह जला दी गई । इस घटना की सूचना मिलने पर आयोग ने स्थिति का जायजा लेने के लिए वहां श्रीमती के. सांथा रेड्डी, सदस्य को भेजा । उन्होंने 12.02.2005 को नगर का दौरा किया और अगले दिन रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से भेंट की । बैठक में पुलिस महानिदेशक सहित राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे । श्रीमती रेड्डी ने अपनी रिपोर्ट में जो सिफारिशें की थीं वे आयोग के अध्यक्ष द्वारा अर्ध-शासकीय पत्र के माध्यम से 23.03.2005 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को अग्रेषित कर दी गई थीं ।

7.2 राज्य में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को "धर्म प्रमाण-पत्र" जारी करने के संबंध में हिमाचल प्रदेश सरकार को अप्रैल, 2005 में अनुदेश

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने 07.11.2004 को पोंटा साहिब का दौरा किया जिसके दौरान उन्हें सूचित किया गया कि स्थानीय तहसीलदार और उपखंड मजिस्ट्रेट सिक्खों को "धर्म प्रमाण-पत्र" जारी नहीं कर रहे हैं । संघ सरकार के रक्षा और अर्ध सैनिक बलों में भर्ती होने के लिए सिक्खों को 'धर्म प्रमाण-पत्र' की आवश्यकता थी । चूंकि सेना में भर्ती होने के इच्छुक सिक्ख विद्यार्थियों के पास "धर्म प्रमाण-पत्र" नहीं था अतः वे भर्ती प्राधिकारियों के समक्ष उपस्थित नहीं हो पाए । आयोग के हस्तक्षेप के परिणामस्वरुप हिमाचल प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग ने राज्य में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को "धर्म प्रमाण-पत्र" दिए जाने के बारे में अनुदेश जारी किए । आयोग में हिमाचल प्रदेश के राजस्व सचिव के साथ हुई बैठक में यह तय किया गया कि पांच अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों के धर्म का सत्यापन करने के लिए संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट स्थानीय पंचायत / नगरपालिका से परामर्श करेंगे । राज्य सरकार की संबंधित राजस्व एजेंसी द्वारा उक्त सत्यापन और जांच कर दिए जाने के बाद उपखंड मजिस्ट्रेट "धर्म प्रमाणपत्र" जारी करेंगे । राज्य सरकार के राजस्व विभाग ने इसी के आधार पर 28.04.2005 को प्रभागीय आयुक्तों, उपायुक्त, उपखंड मजिस्ट्रेटों, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को अनुदेश जारी किए ।

7.3 एन.सी.ई.आर.टी. की पाठ्य पुस्तकों से आपत्तिजनक भाग हटाने के लिए आयोग की सिफारिश ।

एन.सी.ई.आर.टी. की इतिहास समेत सामाजिक विज्ञान की 8 पाठ्य पुस्तकों के कुछ भागों के बारे में कई सिक्ख विद्वानों ने आयोग के समक्ष आपत्ति प्रकट की । कुछ जैन विद्वानों ने भी नवीं कक्षा की एन.सी.ई.आर.टी. की प्राचीन भारत के इतिहास की पाठ्य पुस्तक के कुछ अंशों की ओर आयोग का ध्यान आकर्षित किया । उनके अनुसार ये अंश उनकी धार्मिक भावना को आहत करते हैं । सिक्ख और जैन विद्वानों ने जो आपत्तियाँ प्रस्तुत की थीं वे इन पाठ्य पुस्तकों में आवश्यक संशोधन किए जाने की सिफारिश के साथ 19.08.2005 को निदेशक, एन.सी.ई.आर.टी. को अग्रेषित कर दी गई । आयोग ने निदेशक, एन.सी.ई.आर.टी.को यह भी सिफारिश की कि एन.सी.ई.आर.टी. की पाठ्य पुस्तकों से आपत्तिजनक भाग यथाशीघ्र हटा दिए

जाएं । निदेशक, एन.सी.ई.आर.टी. और उनके प्राधिकारी दल के साथ 17.11.2005 तथा 30.01.2006 को आयोग में इस मुद्दे पर चर्चा की गई । आयोग को सूचित किया कि जिन पाठ्य पुस्तकों के बारे में सिक्ख विद्वानों ने आपत्तियां प्रकट की थीं उनमें से 3 को शैक्षणिक सत्र 2005-06 से और एक को शैक्षणिक सत्र 2006-07 से हटा दिया गया है । शेष 4 पाठ्य पुस्तकों में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सिफारिश के अनुसार संशोधन कर दिए गए है । जैन विद्वानों ने कक्षा ग्यारह की प्राचीन भारत की पाठ्य पुस्तक के बारे में जो आपत्ति प्रकट की थीं उसके आधार पर एन.सी.ई.आर.टी ने आपत्तिजनक अंशों को हटाकर और उनके स्थान पर उपयुक्त पाठ शामिल करके सी.बी.एस.ई., केन्द्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों तथा राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को 11.12.2005 को परिपत्र जारी किया ।

7.4 "विवाह संबंधी अनिवार्य पंजीकरण विधेयक, 2005" पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का मत

राष्ट्रीय महिला आयोग ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को 21.10.2005 को पत्र भेजा जिसमें "विवाह संबंधी अनिवार्य पंजीकरण" के मसौदा विधेयक पर आयोग की राय प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था । आयोग ने मसौदा विधेयक का अध्ययन किया, यह अनुभव किया गया कि विवाहों के पंजीकरण से संबंधित खंड में कुछ परिवर्तन किए जाने आवश्यक हैं । राष्ट्रीय महिला आयोग को भेजे गए तारीख 27.10.2005 के पत्र में आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए :-

(i) "विवाह संबंधी अनिवार्य पंजीकरण" अधिनियम लागू होने के बाद भारतीय नागरिकों पर ऐसे व्यक्तियों, जिनमें से एक भारतीय नागरिक हो, के बीच किसी विधि पर उक्त विवाह से संबंधित रिवाज के अनुसार देश में या अन्यत्र हुए विवाह का विवाह के समुचित रजिस्ट्रार के पास अनिवार्य पंजीकरण कराया जाए ।

(ii) प्रस्तावित विधेयक में हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, विशेष विवाह अधिनियम, 1954, मुस्लिम विवाह और विच्छेद पंजीकरण अधिनियम, 1876, भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872, पारसी विवाह और विवाह - विच्छेद अधिनियम, 1936 तथा आनन्द विवाह अधिनियम, 1909 के अंतर्गत पंजीकृत विवाह शामिल किए जाएं ।

(iii) विधेयक में हिंदू पुरोहितों, काजियों, ईसाई पादरियों व पारसी पुरोहितों द्वारा कराए गए विवाह भी शामिल किए जाएं और उनके तथा जिन्हें ऐसा कराने का अधिकार दिया गया है, के द्वारा कराए गए विवाहों का रिकार्ड रखा जाए।

(iv) विधेयक के उपर्युक्त उपबंधों के आधार पर पक्षकारों (पार्टियों) को अधिनियम के अधीन नियुक्त पर पुनः नामनिर्दिष्ट रजिस्ट्रार पर जिला रजिस्ट्रार के समक्ष विवाह करने पर रोक नहीं लगाई जाए। विवाह का पंजीकरण करने के लिए संपूर्ण अपेक्षित कार्रवाई करने का दायित्व विवाह के दोनों की पक्षकारों का होगा।

(v) राष्ट्रीय महिला आयोग इस विधेयक पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी विचार प्राप्त करे।

7.5 <u>डिग्री कॉलेजों में पारसी विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए विवेकाधिकार का प्रयोग करने हेतु विश्वविद्यालयों को अनुदेश देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सलाह।</u>

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सिफारिश पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सलाह दी कि वह विश्वविद्यालय को अनुदेश दे कि वे अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करके योग्य पारसी विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक वर्ष 2005-06 से कॉलेजों में एक या दो सीटें आंबटित करें। मैसूर विश्वविद्यालय ने अनुदेश जारी किए हैं कि योग्य पारसी विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक वर्ष 2006-07 में सभी कॉलेजों में एक या दो सीटें आबंटित की जाएं।

अध्याय - 8

अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने की विनिर्दिष्ट शिकायते ।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अधिनियम, 1992 की धारा 9(1) (घ) में आयोग को अल्पसंख्यकों के अधिकारों एवं रक्षोपायों से वंचित किए जाने से संबंधित विनिर्दिष्ट शिकायतों पर विचार करने का दायित्व सौंपा गया है । वर्ष 2005-06 में आयोग को 2346 शिकायतें मिलीं । 2346 शिकायतों में से 1052 शिकायतें अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के संगठनों / संस्थाओं से और 1294 शिकायतें अलग-अलग व्यक्तियों से प्राप्त हुईं । कुल 1243 शिकायतों को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (प्रक्रिया और आदेशिका) नियमावली, 1997 के संगत उपबंधों के अनुसार फाईल किया गया क्योंकि शेष शिकायतें :-

- (क) अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों और सुरक्षोपायों पर आधारित नहीं थी या उनसे संबंधित नहीं थी ;
- (ख) ऐसे मामलों से संबंधित थी जो मामले न्यायालयों में विचाराधीन थे पर न्यायिक कल्प निकाय के समक्ष लंबित थे ;
- (ग) ऐसे मुद्दों से संबंधित थी जिनके लिए न्यायिक, न्यायिक कल्प और प्रशासनिक समाधान व्यवस्था थी लेकिन उसका उपयोग नहीं किया गया था ;
- (घ) एक वर्ष से अधिक पुरानी घटनाओं से संबंधित थी ;
- (ङ) अस्पष्ट, अनाम, छद्मनाम वाली या तुच्छ थीं ;
- (च) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को सीधे संबोधित नहीं गई थी ।

8.1 शेष 1103 शिकायतों के बारे में केंद्र / राज्य सरकारों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों से संपर्क किया गया । आयोग के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप जिन महत्वपूर्ण मामलों का समाधान हो सका और शिकायत लाभान्वित हुए उनका उल्लेख निम्नलिखित पैरा 8.2 से 8.8 में किया गया है ।

8.2 दिवंगत श्री जे.ए.खान के परिवार को उनकी सेवानिवृत्ति के 33 वर्ष बाद सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान

दिवंगत श्री जे.ए. खान की विधवा श्रीमती हुमारिया खातून, निवासी ग्राम करारी, जिला कैमूर जिला, बिहार ने 25.02.1999 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेख किया गया था कि उनके पति जलपाइगुड़ी जिला कलेक्टरेट के एल.ए. सर्वेक्षक के पद से 15.01.1972 को सेवानिवृत्त हुए थे लेकिन अभी तक उन्हें पेंशन लाभ नहीं मिले जो उनके दिवगंत पति को देय थे। आयोग, पांच वर्ष से भी अधिक समय तक यह मामला जिला मजिस्ट्रेट जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और महालेखाकार, पश्चिम बंगाल के साथ गंभीरता से उठाता रहा, उक्त दिवंगत कर्मचारी जब बालुरघाट में तैनात थे तो वहां की गई उनकी सेवा का सत्यापन नहीं किए जाने जैसे छोटे कारण की वजह से उन्हें उनके पेंशन लाभों का भुगतान नहीं किया गया, वर्ष 1994 में अपनी मृत्यु तक उन्हें अपना पेंशन लाभ नहीं मिल पाया। तारीख 19.07.2005 को राईटर्स बिल्डिंग कोलकाता में राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ आयोग द्वारा की गई समीक्षा बैठक में इस मामलें पर भी चर्चा की गई दिवंगत कर्मचारी के सेवानिवृत्ति लाभों का उसके कानूनी वारिसों (उनके पुत्र व पत्नी) को 33 वर्ष तक भुगतान न किए जाने का मामला, बैठक की समाप्ति के तत्काल बाद कोलकाता बंगाली व उर्दू समाचारपत्रों में व्यापक रुप से प्रकाशित किया गया। इसके बाद आयोग ने महालेखाकार (ए.एंड.ई.) पश्चिम बंगाल, जिला मजिस्ट्रेट, जलपाइगुडी और पश्चिम बंगाल सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव को तलब करने का निर्णय लिया। समन प्राप्त होने पर मामले पर तेजी से कार्रवाई की गई और आयोग को सूचित किया गया कि दिवंगत कर्मचारी के पुत्र व उनकी पत्नी को जो कि कानपुर में रह रहे हैं, सभी सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान कर दिया गया है। उनका पुत्र आर्डिनेंस फैक्टरी, कानपुर में कार्यरत है।

8.3 गुरु नानक गर्ल्स डिग्री कॉलेज, लखनऊ को अल्पसंख्यक संस्था का दर्जा।

अपने तारीख 20.04.2004 के अभ्यावेदन में श्री गुरु नानक गर्ल्स डिग्री कॉलेज, लखनऊ ने उल्लेख किया था कि उत्तर प्रदेश उन्हें अल्पसंख्यक संस्था का दर्जा प्रदान नहीं कर रही है। मामला, प्रधान सचिव (उच्च शिक्षा), उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया और बाद में

राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ 29-30 जुलाई, 2004 और 12-13 अक्तूबर, 2004 को हुई समीक्षा बैठक में इस पर चर्चा की गई । राज्य सरकार ने अपने तारीख 22.02.2005 के पत्र के द्वारा आयोग को सूचित किया कि गुरु नानक गर्ल्स डिग्री कॉलेज से अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त होने पर उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के संगत उपबंधों के अंतर्गत संस्था को अल्पसंख्यक संस्था का दर्जा दे दिया गया है । कॉलेज प्रबंधन ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को संबोधित अपने तारीख 04.04.2005 के पत्र के जरिए इस बात की पुष्टि कर दी है कि राज्य सरकार ने उसे अल्पसंख्यक संस्था का दर्जा दे दिया है ।

8.4 <u>मोहम्मद सज्जू की 19 वर्ष बाद पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन अनुकंपा आधार पर नियुक्ति</u>

मटियाब्रुज, कोलकाता निवासी मोहम्मद रफीक ने 01.02.2000 को आयोग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेख किया गया था कि साल्ट लेक स्टेट जनरज हॉस्पिटल में समूह 'घ' के पद पर उनके छोटे पुत्र (मोहम्मद सज्जू) को अनुकंपा आधार पर नियुक्त किए जाने के मामले में विलंब किया जा रहा है । मोहम्मद रफीक की पत्नी श्रीमती शकोल बीबी उसी अस्पताल में समूह 'घ' की कर्मचारी थी और सेवाकाल के दौरान ही उनकी 17.03.1986 को मृत्यु हो गई । उनकी मृत्यु के तत्काल बाद उनके पुत्र मोहम्मद सज्जू ने अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया । इस आयोग के हस्तक्षेप के परिणामस्वरुप पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने 24 परगना (उत्तर) के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निदेश दिया कि मोहम्मद सज्जू को समूह 'घ' पद पर अनुकंपा आधार पर नियुक्त किए जाने के लिए नियुक्ति प्रस्ताव जारी कर दिया जाए । मोहम्मद साजू से अपना जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और निर्धारित चिकित्सा जांच करवाने के लिए भी कहा गया । आश्चर्य की बात है कि पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने अपने तारीख 05.07.2001 के पत्र के जरिए आयोग को सूचित किया कि राज्य सरकार में सभी प्रकार की नियुक्तियों पर रोक (दिसंबर, 2000 से) लगी हुई है । आयोग ने मई, 2004 तक स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, अल्पसंख्यक विकास एवं कल्याण विभाग और मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल को कई पत्र भेजे । चूंकि कोई सूचना प्राप्त नहीं हो रही थी । अतः कोलकाता में 19.07.2005 को राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में आयोग के प्रतिनिधिमंडल ने इस मुद्दे पर चर्चा की । बैठक में आयोग के प्रतिनिधिमंडल को सूचित किया

गया कि मोहम्मद सज्जू को मध्यमग्राम जनरल हॉस्पिटल में नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव भेजा गया था और उन्होंनें 12.07.2005 को नए पद का कार्य ग्रहण कर लिया है । पश्चिम बंगाल सरकार ने उनकी कार्य ग्रहण रिपोर्ट की प्रति 12.07.2005 को आयोग को भेजी ।

8.5 श्री एम.एम.खान को दो वर्ष बाद पेंशन लाभों का भुगतान

सांस्कृतिक सम्पदा राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (एन.आर.एल.सी.), लखनऊ के पूर्व पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी श्री मतीन मोहम्मद खान ने आयोग को भेजे गए अपने तारीख 26.02.2005 के अभ्यावेदन में यह उल्लेख किया था कि वे सरकारी सेवा से 31.07.2003 को सेवानिवृत्त हो गए थे लेकिन मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान और पेंशन संराशीकरण की 5968/- रु की शेष राशि का उन्हें भुगतान नहीं किया गया है । आयोग ने यह मामला एन.आर.एस.सी. के साथ 31.08.2005 को उठाया । एन.आर.एल.सी. ने अपने तारीख 27.09.2005 के पत्र के जरिए आयोग को सूचित किया कि :-

(i) उनके मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान में से 5968/- रु. की राशि की कटौती निदेशक, एन.आर.एल.सी के मौखिक आदेश पर की गई थी क्योंकि प्रयोगशाला के पुस्तकालय की कुछ पुस्तकें श्री खान की सेवानिवृत्ति से पहले से ही नहीं मिल पा रही थीं ।

(ii) उक्त पुस्तकें, श्री खान को व्यक्तिगत हैसियत में जारी नहीं की गई थीं ।

(iii) सामान्य वित्तीय नियमों के उपबंधों के अनुसार पुस्तकों की उक्त कमी को बट्टे खाते में डाला जा सकता था ।

8.5.1 आयोग को सूचित किया गया कि गुम हुई पुस्तकों की कीमत को एन.आर.एल.सी. ने बट्टे खाते में डाल दिया है और श्री खान को 26.09.2005 को 5968/- रु. की राशि का भुगतान कर दिया गया है । एन.आर.एल.सी. के प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने भी आयोग को तदनुसार सूचित किया ।

8.6 जिला पचायत, श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश के कर्मचारी मोहम्मद साजिद खान को वेतनवृद्वि दिए जाने से रोकना

जिला पंचायत श्रावस्ती के कर्मचारी मोहम्मद साजिद खान से तारीख 09.08.2001 की शिकायत प्राप्त हुई जो उन्हें वेतनवृद्वि न दिए जाने और जिला पंचायत के अपर मुख्य कार्यपालक श्री राम पाल सिंह यादव द्वारा उनका उत्पीड़न किए जाने से संबंधित थी, आयोग ने यह मामला जिला मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती के समक्ष प्रस्तुत किया। बहुत से पत्र व अनुस्मारक भेजे जाने के बाद आयोग को सहायक जिला न्यायाधीश श्रावस्ती से अप्रैल, 2005 में रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें उल्लेख किया गया था कि जिला विकास अधिकारी, श्रावस्ती द्वारा जांच किए जाने के बाद श्री खान को वेतन वृद्वि दे दी गई है और उन्हें सभी देय राशि का भुगतान कर दिया गया है।

8.7 रामजस सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नई दिल्ली के टी.जी. अध्यापक श्री एस.पी. खान के सेवा रिकार्ड में एम.ए.(अर्थशास्त्र) की योग्यता शामिल करना और उसी विद्यालय में पी.जी.टी. के उच्चतर पद पर उनकी पदोन्नति।

रामजस सीनियर सेकंडरी स्कूल, करोल बाग, नई दिल्ली के प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (सामाजिक विज्ञान) श्री शाहिद परवेज खान से तारीख 01.04.2005 का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद विद्यालय प्रबंधन उनकी एम.ए.(अर्थशास्त्र) की योग्यता को उनके सेवा रिकार्ड में दर्ज नहीं कर रहा है। मामले पर विचार करने के बाद आयोग ने रामजस सीनियर सेकंडरी स्कूल के अध्यक्ष को सिफारिश की कि श्री खान ने जिस तारीख को जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से एम.ए. (अर्थशास्त्र) की डिग्री प्राप्त की है उसी तारीख से ही उनकी एम.ए. (अर्थशास्त्र) की योग्यता को उनके सेवा रिकार्ड में दर्ज कर दिया जाए। आयोग की सिफारिश का अनुपालन करते हुए विद्यालय प्रबंधन के अध्यक्ष ने तारीख 28.06.2005 के पत्र के जरिए आयोग को सूचित किया कि श्री एस.पी. खान की एम.ए. (अर्थशास्त्र) की योग्यता को उनके सेवा रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया है। ऐसा कर दिए जाने के बाद स्नातकोत्तर अध्यापक के पद पर पदोन्नति के लिए अभ्यार्थियों के मामलों पर विचार करने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई। श्री एस.पी. खान को उक्त समिति ने पदोन्नति के लिए योग्य घोषित कर दिया। श्री एस.पी. खान ने अपने तारीख 30.11.2005 के पत्र के जरिए इस बात की पुष्टि करते हुए उक्त पत्र में उन्होंने सहायता करने के लिए आयोग को धन्यवाद किया था।

8.8 गुरु ग्रंथ साहिब पर तैयार किए गए त्रुटिपूर्ण डाक टिकट (स्टाम्प) को डाक विभाग द्वारा वापस लेना ।

आयोग को सूचना प्राप्त हुई कि डाक विभाग द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब पर तैयार किए गए डाक टिकट में कुछ त्रुटियां हैं जिनसे सिक्ख समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं । आयोग की तारीख 01.08.2005 को डाक विभाग के संबंधित अधिकारियों के साथ हुई बैठक में आयोग ने डाक टिकट को तत्काल वापस लेने का निदेश दिया । डाक विभाग के अधिकारियों से यह भी कहा गया कि उन्हें अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से धार्मिक मुद्दों पर डाक टिकट का डिजाइन तैयार करने के लिए कार्रवाई करने से पहले आयोग से परामर्श करना चाहिए । गुरु ग्रंथ साहिब पर तैयार की गई विवादास्पद स्टांप वापस ले ली गई और डाक विभाग ने आयोग को आश्वासन दिया कि पांच अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के धार्मिक मुद्दों पर डाक टिकट का डिजाइन तैयार करने से पहले आयोग से परामर्श किया जाएगा ।

अध्याय -9

अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक विकास से संबंधित मुद्दों पर आयोग द्वारा किया गया विश्लेषण ।

अल्पसंख्यकों के सामाजिक - आर्थिक और शैक्षिक विकास के संबंधित मुद्दों का आयोग द्वारा वर्ष 2005-06 में किए गए विश्लेषण का सारांश निम्नलिखित पैरा 9.1. से 9.2.2 में दिया गया है :-

9.1 धर्म के संबंध में वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ों के विश्लेषण के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति - मुस्लिम और बौद्ध जनसंख्या के संबंध में समिति के निष्कर्ष

भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त द्वारा "धर्म संबंधी आंकड़ों पर प्रथम रिपोर्ट" 06.09.2004 को प्रकाशित की गई । आयोग ने, उक्त रिपोर्ट में उल्लिखित धार्मिक अल्पसंख्यकों के 2001 के जनगणना आंकड़ों का विश्लेषण करने और पांच अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध और पारसियों की जनसांख्यिकी प्रवृत्तियों के बारे में आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए चार सदस्यों वाली विशेषज्ञ समिति गठित की । सिक्ख, पारसी और ईसाई समुदायों के संबंध में विशेषज्ञ समिति के निष्कर्षों का उल्लेख आयोग की वर्ष 2004-05 की वार्षिक रिपोर्ट में किया गया है ।

9.1.1 मुस्लिम जनसंख्या के संबंध में विशेषज्ञ समिति के निष्कर्ष

विशेषज्ञ समिति ने मुस्लिम जनसंख्या संबंधी निष्कर्ष 30.04.2005 को आयोजित की गई बैठक में मुस्लिम समुदाय के नेताओं और बुद्धिजीवियों के समक्ष प्रस्तुत किए । विशेषज्ञ समिति ने उल्लेख किया कि मुसलमानों की सबसे अधिक आबादी उत्तर प्रदेश (31 मिलियन) में हैं, इसके बाद पश्चिम बंगाल (20 मिलियन), बिहार (14 मिलियन), महाराष्ट्र (10 मिलियन), असम (8 मिलियन), केरल (8 मिलियन), आंध्र प्रदेश (7 मिलियन) और जम्मू-कश्मीर (7 मिलियन) का स्थान है । प्रत्येक राज्य में मुसलमानों के अनुपात को देखें तो जम्मू-कश्मीर में यह 67% है जो सबसे अधिक है। इसके बाद असम (31%), पश्चिम बंगाल (25%) व केरल (25%) का स्थान आता है। झारखंड में यह अनुपात 14 % , दिल्ली, उत्तरांचल व कर्नाटक में 12% और

आंध्र प्रदेश व गुजरात में 9% है । तथापि, भारत में मुसलमानों की कुल जनसंख्या का अनुपात प्रत्येक राज्य की तुलना में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक (22%) है जबकि जम्मू और कश्मीर में यह अनुपात केवल 5 % है ।

9.1.1.1 तारीख 30.04.2005 को किए गए प्रस्तुतीकरण में विशेषज्ञ समिति ने उल्लेख किया कि यद्यपि 2001 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम समुदाय की साक्षरता दर देश की समग्र साक्षरता दर से थोड़ी ही कम है लेकिन कुछ राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में मुसलमानों की साक्षरता दर उनकी (इन राज्यों की) समग्र साक्षरता दर की तुलना में अधिक है । समिति ने यह भी बताया कि मुस्लिम समुदाय में स्त्री-पुरुष अनुपात बहुत अच्छा है जो उल्लेखनीय है । मुसलमानों में राष्ट्रीय स्तर पर स्त्री-पुरुष अनुपात 936 है जो सभी धर्मों के स्त्री-पुरुषों के 933 के राष्ट्रीय औसत से अधिक है ।

9.1.2 <u>बौद्ध जनसंख्या के संबंध में विशेषज्ञ समिति के निष्कर्ष</u>

विशेषज्ञ समिति ने बौद्ध जनसंख्या संबंधी निष्कर्ष 08.06.2005 को आयोजित की गई बैठक में बौद्ध समुदाय के बुद्धिजीवियों के समक्ष प्रस्तुत किए । विशेषज्ञ समिति ने बताया कि वर्ष 2001 में भारत में बौद्धों की जनसंख्या 79 लाख अर्थात् भारत की कुल जनसंख्या का 0.8 प्रतिशत है । वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार भी बौद्ध जनसंख्या का अनुपात यही 0.8% था । निश्चित रुप से बौद्धों की सबसे अधिक जनसंख्या महाराष्ट्र (58 लाख) में हैं, इसके बाद कर्नाटक (3.8 लाख) और उत्तर प्रदेश (3 लाख) का स्थान है । तथापि, बौद्ध जनसंख्या का राज्यवार अनुपात देखें तो यह सिक्किम में सबसे अधिक (28.1%) हैं, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश (13%), मिजोरम (7.9%) और महाराष्ट्र (6%) का स्थान है । वर्ष 2001 में की गई जनगणना से पता चलता है कि 27.8% के राष्ट्रीय औसत की तुलना में शहरी बौद्ध जनसंख्या का प्रतिशत 38.5 है । यह उत्साहजनक बात है कि बौद्धों की साक्षरता दर 72.7% है जो 64.8% के राष्ट्रीय औसत से अधिक है । बौद्धों में बालक-बालिका अनुपात अर्थात् 0-6 आयु वर्ग में प्रति 1000 लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 942 है जो 927 के राष्ट्रीय औसत से अधिक है ।

9.1.2.1 देश के सभी प्रमुख धार्मिक समूहों में से बौद्धों में कृषि श्रमिकों अर्थात् भूमिहीन और सीमांत किसानों का प्रतिशत सबसे अधिक (37.6%) है । यह 26.5% के राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है । प्रस्तुतीकरण में विशेषज्ञ समिति ने यह भी बताया कि बौद्ध धर्मविलंबियों की आय में क्षेत्रीय असमानताएं हैं । सिक्किम में बौद्ध कामगारों में से केवल 5.8% ही कृषि श्रमिक है जबकि महाराष्ट्र में यह संख्या 42.7% है । कर्नाटक में तो यह और भी अधिक (54.6%) है । सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर के लद्दाख जिले व पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में बौद्धों की आर्थिक स्थिति महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के बौद्धों की तुलना में बेहतर है । अतः इन चार राज्यों में उनके आर्थिक उत्थान एवं शैक्षिक विकास के लिए सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है ।

9.1.3 विशेषज्ञ समिति ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट आयोग का दिसंबर, 2005 के अंतिम सप्ताह में प्रस्तुत की ।

9.2 मुस्लिम बालिकाओं से संबंधित मुद्दों और समस्याओं पर चर्चा करने के लिए 24.05.2005 को आयोजित बैठक में योजना आयोग को विवरण पत्र प्रस्तुत किया गया

मुस्लिम बालिकाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों व समस्याओं पर चर्चा करने के लिए 24.05.2005 को योजना आयोग में बैठक की गई । बैठक का उद्देश्य मुस्लिम बालिकाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उपयुक्त नीति व कार्यक्रम तैयार करना था । आयोग ने 19.05.2005 को योजना आयोग को 'मुस्लिम बालिकाओं का शैक्षिक पिछड़ापन' नामक विवरण पत्र भेजा । राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के इस विवरण पत्र में मुस्लिम महिला साक्षरता दर की राज्यवार तुलना महिलाओं की औसत साक्षरता दर के साथ की गई है, यथा :-

(i) यद्यपि भारत में मुस्लिम महिला साक्षरता दर (50.1), देश की महिलाओं की औसत साक्षरता दर (53.7) से थोड़ी ही कम है लेकिन कुछ राज्यों मे मुस्लिम महिला साक्षरता दर वहां की महिलाओं की औसत साक्षरता दर से अधिक है । इसका विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :-

राज्य	सभी धार्मिक संप्रदायों की महिलाओं की साक्षरता दर	मुस्लिम महिलाओं की साक्षरता दर
उड़ीसा	50.5	62.3
झारखंड	38.9	42.7
छत्तीसगढ़	51.9	74.0
मध्य प्रदेश	50.3	60.1
गुजरात	57.8	63.5
महाराष्ट्र	67.0	70.8
आंध्र प्रदेश	50.4	59.1
कर्नाटक	56.9	63.0
तमिलनाडू	64.4	76.2
अरुणाचल प्रदेश	43.5	44.9

(ii) केरल, राजस्थान, बिहार, जम्मू-कश्मीर व उत्तर प्रदेश में मुस्लिम महिला साक्षरता दर वहां की महिलाओं की समग्र साक्षरता दर की तुलना में अधिक कम नहीं हैं। इसे निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है :-

राज्य	सभी धार्मिक संप्रदायों की महिलाओं की साक्षरता दर	मुस्लिम महिलाओं की साक्षरता दर
केरल	87.7	85.5
राजस्थान	43.9	40.8
बिहार	33.1	31.5
जम्मू-कश्मीर	43.0	34.9
उत्तर प्रदेश	42.2	37.4

(iii) उपर्युक्त तालिका से पता चलता है कि केरल में महिलाओं की शैक्षिक स्थिति में बहुत उन्नति हुई हैं और इसका प्रभाव मुस्लिम समुदाय पर भी पड़ा है। इसी प्रकार राजस्थान, बिहार, जम्मू और कश्मीर में अभी भी महिलाओं में शैक्षिक पिछड़ापन है। मुस्लिम समुदाय भी शैक्षिक पिछड़ेपन से ग्रस्त रहा है। उक्त उप-पैरा (i) में सारणी से यह पता चलता है कि झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में

औसत महिला साक्षरता दर संबंधित राज्यों में मुस्लिम महिला साक्षरता दर की तुलना में बहुत कम नहीं है । अतः 10 राज्यों (केरल, राजस्थान, बिहार, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा अरुणाचल प्रदेश) में महिला साक्षरता विकास या पिछड़ापन मुस्लिम समुदाय तक ही सीमित नहीं है ।

(iv) यद्यपि, राज्य में महिला साक्षरता के विकास या पिछड़ेपन का प्रभाव उसी राज्य के मुस्लिम महिला साक्षरता पर भी पड़ा है लेकिन यह स्थिति (पूर्वोत्तर) भारत के कुछ राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में बिल्कुल दिखाई नहीं देती जैसा कि निम्न सारणी में देखा जा सकता है:-

राज्य	सभी धार्मिक संप्रदायों की महिलाओं की साक्षरता दर	मुस्लिम महिलाओं की साक्षरता दर
हिमाचल प्रदेश	67.4	46.6
पंजाब	63.4	43.4
चंडीगढ़	76.5	56.3
उत्तरांचल	59.6	40.3
हरियाणा	55.7	21.5
दिल्ली	74.7	59.1
असम	54.6	40.2
पश्चिम बंगाल	59.6	49.8
त्रिपुरा	64.9	51.4

9.2.1 <u>विवरण पत्र में निम्न टिप्पणियां की गई :-</u>

(i) मुस्लिमों के लिए तैयार की गई शैक्षिक योजना दोषपूर्ण होगी यदि संपूर्ण मुस्लिम समुदाय को एक अखंडित समुदाय के रूप में समझा जाता है । देश के बड़े धार्मिक समुदाय के क्षेत्र, जाति, वर्ग और लिंग आधार पर अपने आंतरिक भेदभाव होते हैं । हिन्दुओं की तरह भारतीय मुस्लिमों के भी अपने आपसी मतभेद हैं । मुस्लिम समुदाय में ये मतभेद साक्षरता, परिवार नियोजन तथा कार्य में भागीदारी के क्षेत्र में स्पष्ट दिखाई देते हैं । यह [illegible] धार्मिक समुदायों को अखंड समुदायों के रूप में

न देखा जाए । सामान्यतः अन्तं-सामुदायिक भेदभावों, खासतौर पर क्षेत्र, वर्ग और लिंग के आधार पर किए जाने वाले भेदभावों को व्यक्त नहीं किया जाता ।

(ii) उत्तर एवं पूर्वी राज्यों में मुस्लिम आबादी का अधिकांश हिस्सा बहुत गरीब है । अत्याधिक निर्धनता ही महिलाओं में निम्न साक्षरता दर का एक प्रमुख कारण है । यद्यपि विद्यालय स्तर पर शिक्षा लगभग निःशुल्क है लेकिन परिवहन, पाठ्यपुस्तकों, अन्य शैक्षिक सामग्री तथा स्कूल की वर्दी पर आने वाला खर्च उठाना गांवों तथा शहरों में झुग्गी झोपड़ियों में गुजर-बसर कर रहे अधिकांश मुस्लिम परिवारों की पहुंच से बाहर है । ज्यादातर निर्धन परिवार यह चाहते हैं कि उनकी लड़कियां घर में रहकर काम-काज में हाथ बटाएं और अपने छोटे भाई-बहनों की देखभाल करें । भारत में परंपरागत रुप से लड़कों को ज्यादा महत्व देने की भावना ने भी मुस्लिम साक्षरता दर के उद्देश्य को पूरा करने में बाधा उत्पन्न की है ।

(iii) विद्यालयों में स्वीकार्य सुविधाओं (पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, पूर्णतः हवादार कक्षाओं, शौचालयों की अलग से व्यवस्था, इत्यादि) के लगभग न के बराबर होने के कारण, अध्यापकों की जवाबदेही में कमी तथा विद्यालयों में अत्याधिक अस्वास्थ्यकर स्थितियों के कारण विद्यालयों में विद्यार्थियों की प्रवेश दर कम रही है ।

9.2.2 <u>मुस्लिम बालिकाओं के शैक्षिक विकास के संबंध में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के विवरण पत्र में निम्न सुझाव दिए गए :-</u>

(i) विद्यालयों में अध्यापिकाओं का अभाव होने से मुस्लिम बालिकाओं का विद्यालयों में कम दाखिल होना भी एक प्रमुख कारक है । चूंकि भारतीय विद्यालयों में कक्षाओं को ज्यादातर लड़का / लड़की आधार पर पृथक कर दिया जाता है अतः बालिकाएं विद्यालय जाना तभी पसंद करती हैं और उनकी शैक्षिक उपलब्धियों में तभी सुधार होता है यदि उन्हें अध्यापिकाओं द्वारा पढ़ाया जाए ।

(ii) माँ के रुप में महिलाओं में परिवार की संपूर्ण दिशा को परिवर्तित करने की अद्‌भूत क्षमता होती है । यदि परिवार में माँ ने न्यूनतम स्तर यानि प्राथमिक स्तर तक भी शिक्षा प्राप्त की हो तो निश्चित रुप से अपनी पुत्री की शिक्षा के संबंध में उसका दृष्टिकोण सकारात्मक होगा । मुस्लिम महिलाओं के लिए प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम चलाए बिना मुस्लिम बालिकाओं की शिक्षा के संबंध में पारिवारिक दबाव कायम करना मुश्किल हो जाएगा ।

(iii) देश के मुस्लिम बहुसंख्यक जिलों में विद्यालय शिक्षा सर्वेक्षण किए जाने चाहिए जिससे कि विद्यालयों में भर्ती, बीच में पढ़ाई छोड़ने की दरें तथा शैक्षिक उपलब्धि के संबंध में मूलभूत डाटा एकत्रित किए जा सकें । ये सर्वेक्षण उपचारी उपाय, विशेषकर मुस्लिम बालिकाओं द्वारा विद्यालयों में दाखिला लेने की दर में कमी तथा बीच में पढ़ाई छोड़ने की ऊंची दर की समस्या का समाधान करने के लिए अनिवार्य उपायों से संबंधित कार्यनीतियां तैयार करने में सहायक होंगे ।

(iv) शिक्षा का अधिकार बाध्यकारी नहीं बना दिया जाता तब तक केन्द्र तथा राज्य सरकारों के शैक्षिक प्राधिकारियों को मुस्लिम समुदाय द्वारा बालिका विद्यालयों की स्थापना एवं प्रबंधन में अड़चनें उत्पन्न नहीं करनी चाहिए । ऐसे विद्यालयों को अल्पसंख्यक स्तर प्रदान करने में उदारता बरती जानी चाहिए तथा उक्त संस्थाओं में पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए तथा यहां के अध्यापन स्टॉफ को वेतन का भुगतान करने के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए ।

(v) केन्द्र सरकार को उन जिलों में, जहाँ मुस्लिम समुदाय बहुसंख्या में हैं, वहाँ औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, मेडिकल कॉलेजों तथा इंजीरियरिंग कॉलेजों की स्थापना करके मुस्लिम बालिकाओं को मेडिकल तथा इंजीनियरिंग शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के विशेष उपाए करने चाहिए । कुछ नियमों में ढील दी जानी चाहिए जैसे कि इंजीनियरिंग कॉलेज को स्थापित करने के लिए

शहरी क्षेत्र में कम से कम 5 एकड़ जमीन होनी जरुरी हैं ताकि सरकार द्वारा उसे मान्यता प्रदान की जा सके ।

(vi) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए तैयार किए गए शैक्षिक कार्यक्रमों का विस्तार मुस्लिम समुदाय तक किया जाना चाहिए । मुस्लिम बहुल जिलों में अच्छे स्तर के सरकारी विद्यालयों जहां मुस्लिम बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए । मुस्लिम बालिकाओं के लिए विद्यालय स्तर पर आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष उपाय किए जाने चाहिए ।

(vii) शिक्षा (अनौपचारिक शिक्षा सहित) से संबंधित विभिन्न सरकारी स्कीमें एवं प्रोजेक्ट मुसलमान बालिकाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए जाएं ।

(viii) आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके मुस्लिम बालिकाओं के लिए दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था किए जाने पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है । मुस्लिम शैक्षिक संस्थाओं को 'इग्नू' तथा अन्य मुक्त विश्वविद्यालयों से संबंध करने की संभावना का गहनता से पता लगाए जाने की आवश्यकता है ।

(ix) अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा संचालित उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को उत्कृष्टता केन्द्र, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि शुरु करने के लिए केन्द्र सरकार / विश्वविद्यालय अनुदान दिए जाने चाहिए जिससे कि वे मुस्लिम बालिकाओं के बीच व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दे सकें ।

(x) मुस्लिम बालिकाओं के लिए विज्ञान की शिक्षा को बढ़ावा किए जाने की आवश्यकता है । इस प्रयोजनार्थ, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विज्ञान की शिक्षा के विकास की स्कीम कार्यान्वित की जा रही है जिसमें हाशिए पर गुज़र-बसर कर रहे समुदाय के संबंध में भी विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए ।

अध्याय - 10

आयोग का प्रशासनिक ढांचा वित्त एवं लेखा तथा राजभाषा / नीति कार्यान्वयन सहित

आयोग का संगठनात्मक चार्ट वर्ष 2005-06 में दिए अनुसार अनुलग्नक - II में दिया गया है । श्री देव स्वरूप, भा.प्र.से. (हि.प्र.: 69) की राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सचिव के रुप में तारीख 30.11.2005 को सेवानिवृत्त हुए तथा तारीख 01.12.2005 को श्रीमती दीपा जैन सिंह, भा.प्र.से. (हरियाणा : 71) ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सचिव का कार्य भार ग्रहण किया ।

10.1 आयोग वर्ष 1998 में वित्त मंत्रालय की स्टाफ निरीक्षण यूनिट द्वारा सिफारिश किए गए अपेक्षित पदों की अनुपलब्धता के कारण राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (वार्षिक लेखा विवरण, लेखा-परीक्षा तथा वार्षिक रिपोर्ट) नियमावली, 1995 के अंतर्गत दी गई नई लेखा प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं कर सका । आयोग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के भुगतान और लेखा कार्यालय को बिल प्रस्तुत करने के लिए मौजूदा कार्य प्रक्रिया का ही अनुसरण करता आ रहा है ।

10.2 तारीख 31.03.2005 को आयोग के सचिवालय में कुल स्वीकृत संख्या 102 थी । संस्वीकृत पदों और रिक्तियों की सूची अनुलग्नक -III में दी गई है ।

10.3 वित्त मंत्रालय की स्टाफ निरीक्षण यूनिट द्वारा सिफारिश किए गए निम्नलिखित ऐसे 15 अतिरिक्त पदों के सृजन का प्रस्ताव आयोग द्वारा किए गए अथक प्रयासों के बावजूद केन्द्र सरकार द्वारा कार्यान्वित नहीं किया गया :-

स्टाफ निरीक्षण यूनिट द्वारा सिफारिश किए गए पद का नाम	स्टाफ निरीक्षण यूनिट द्वारा सिफारिश किए गए पदों की संख्या	वेतनमान
उप-निदेशक	1	10,000-15,2000/- रु.
अनुसंधान अधिकारी	1	8000-13500/- रु.
सूचना अधिकारी एवं जन संपर्क अधिकारी	1	8000-13500/- रु.
भुगतान एवं लेखा अधिकारी	1	7500-12000/- रु.
अनुसंधान अन्वेषक	1	5500-9000/- रु.
अनुसंधान सहायक	2	5000-8000/- रु.
सांख्यिकी सहायक	1	5000-8000/- रु.
सहायक (विधि)	1	5000-8000/- रु.
स्टेनो ग्रेड 'डी'	1	4000-6000/- रु.
उच्च श्रेणी लिपिक	2	4000-6000/- रु.
अवर श्रेणी लिपिक	2	3050-4500/- रु.
दफ्तरी	1	2610-4000/- रु.
कुल	15	

10.4 विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गई । तारीख 01.09.2005 से 14.09.2005 तक आयोग में हिंदी पखवाडे का आयोजन किया गया । इस वर्ष 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' भी मनाया गया ।

10.5 प्रो. रामदेव भंडारी, संसद सदस्य (राज्य सभा) की अध्यक्षता में संसदीय राजभाषा समिति ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग सचिवालय में भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए तारीख 16.01.2006 को आयोग की कार्यप्रणाली का निरीक्षण किया । समिति ने आयोग में हिन्दी कार्य की प्रगति के संबंध में अपनी संतुष्टि जताई ।

अध्याय - 11

आयोग की सिफारिशें

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 9(1) में निर्दिष्ट किए गए अनुसार आयोग अपने कार्यों के निष्पादन में हर वित्तिय वर्ष में कुछ सिफारिशें करता है । वर्ष 2005-06 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के नियम 9 (1) (ग) के अतंर्गत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सांविधिक सिफारिशें पैरा 11.1 से 11.6 में नीचे दी गई हैं :-

11.1 संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की वार्षिक रिपोर्टें प्रस्तुत करने के लिए एक समयबद्ध प्रणाली विकसित की जानी चाहिए जिससे कि संसद सदस्य इस बात से अवगत हो सकें कि आयोग ने अल्पसंख्यक समुदायों के लिए क्या-क्या कार्य किए हैं ।

(अध्याय 3, पैरा 3.4.1)

11.2.1 जब तक शिक्षा का अधिकार बाध्यकारी नहीं बना दिया जाता तब तक संघ और राज्य सरकारों के शैक्षिक प्राधिकारियों को मुस्लिम समुदाय द्वारा बालिकाओं के लिए विद्यालयों की स्थापना करने और उनके प्रबंधन में अड़चनें पैदा नहीं करनी चाहिएं । ऐसे विद्यालयों को अल्पसंख्यक स्तर प्रदान करने में उदारता बरती जाए तथा उक्त संस्थाओं में पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए तथा वहाँ के स्टॉफ को वेतन का भुगतान करने के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए ।

(अध्याय 9, पैरा 9.2.2)

11.3 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए तैयार किए गए शैक्षिक कार्यक्रमों का विस्तार मुस्लिम समुदाय तक किया जाना चाहिए । मुस्लिम बहुल जिलों में अच्छे स्तर के सरकारी विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए जहां मुस्लिम बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए । मुस्लिम बालिकाओं के बीच विद्यालय स्तर पर आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष उपाय किए जाने चाहिए

(अध्याय 9, पैरा 9.2.2)

11.4 आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके मुस्लिम बालिकाओं के लिए दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था किए जाने पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है । मुस्लिम शैक्षिक संस्थाओं को 'इग्नू' तथा अन्य मुक्त विश्वविद्यालयों से सबंद्ध करने की संभावना का गहनता से पता लगाए जाने की आवश्यकता है ।

(अध्याय 9, पैरा 9.2.2)

11.5 मुस्लिम बालिकाओं के लिए विज्ञान की शिक्षा को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है । इस उद्देश्य से मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विज्ञान की शिक्षा के विकास की स्कीम कार्यान्वित की जा रही है जिसमें हाशिए पर गुजर-बसर कर रहे इस समुदाय के संबंध में भी विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए ।

(अध्याय 9, पैरा 9.2.2)

अनुलग्नक - I
(संदर्भ पैरा 1.2)

भारत सरकार
कल्याण मंत्रालय

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
तारीख : 23 अक्तूबर, 1993

अधिसूचना

एस.ओ. नं. 816 (स्था.), राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (1992 का 19) की धारा 2 के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार निम्नलिखित समुदायों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ **'अल्पसंख्यक समुदायों'** के रुप में अधिसूचित करती है :-

1. मुस्लिम
2. ईसाई
3. सिक्ख
4. बौद्ध
5. पारसी

ह0/
(पी.के. मोहन्ती)
संयुक्त सचिव
फा.सं. 1/11/93-एम.सी.(डी.)

सेवा में,
प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी,
नई दिल्ली

निम्नलिखित को प्रति प्रेषित :-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय / विभाग
2. प्रधानमंत्री कार्यालय, साऊथ ब्लॉक, नई दिल्ली
3. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली
4. उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली
5. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली
6. संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली
7. चुनाव आयोग, निर्वाचन सदन, नई दिल्ली
8. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली
9. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली
10. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, लोकनायक भवन, नई दिल्ली ।

अनुलग्नक-II
(संदर्भ : पैरा 10)

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का संगठनात्मक चार्ट

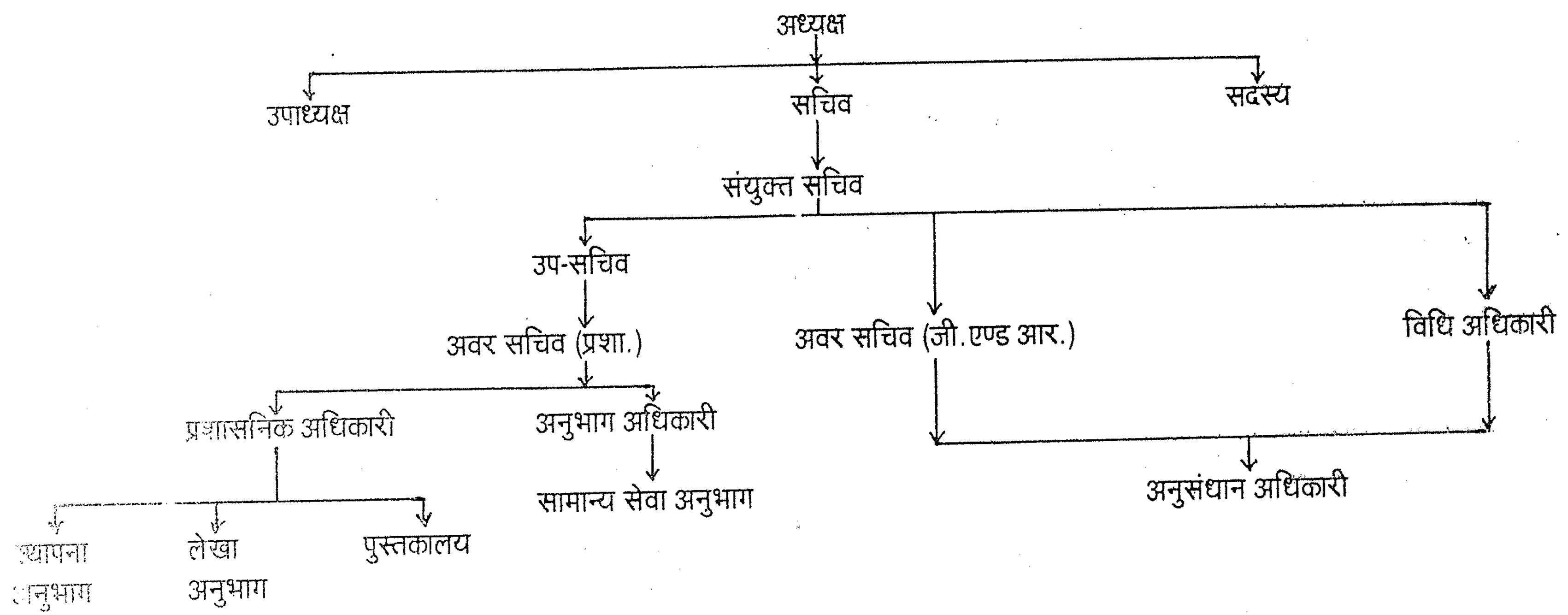

टिप्पणी :-

पूरे देश के पांच अधिसूचित अल्पसंख्यकों (मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध और पारसी) से प्राप्त अभ्यावेदनों के संबंध में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के शिकायत एवं निवारण अनुभाग ने कार्रवाई की जाती है

अनुलग्नक-III
(संदर्भ पैरा 10.2)

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में स्वीकृत पदों और रिक्तियों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

(तारीख 31.03.2005 तक की स्थिति)

(क): आयोग के सदस्य

क्रम सं.	पदनाम	वेतनमान	संस्वीकृत पदों की संख्या	भरे गए पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1.	अध्यक्ष	26,000/- रु. (नियत)	1	1	-
2.	उपाध्यक्ष	26,000/ रु. (नियत)	1	1	-
3.	सदस्य	26,000/ रु. (नियत)	5	5	-
		कुल :	7	7	.

(ख) : राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग सचिवालय

क्रम सं.	पदनाम	वेतनमान	संस्वीकृत पदों की संख्या	भरे गए पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1.	सचिव	26,000/- नियत	1	1	-
2.	संयुक्त सचिव	18000-22400/-	1	1	-
3.	उप सचिव	12000-16500/-	1	1	-
4.	अवर सचिव	10000-15200/-	2	1+1*	-
5.	विधि अधिकारी	10000-15200/-	1	1	-
6.	अनुसंधान अधिकारी	8000-13500/-	1	1	-
7.	प्रशासनिक अधिकारी	8000-13500/-	1	1	-
8.	अनुभाग अधिकारी	6500-10500/-	1	1	-

9.	वरिष्ठ निजी सचिव	7500-12500/-	1	1	-
10.	निजी सचिव	6500-10500/-	1	1	-
11.	पुस्तकालयाध्यक्ष	5500-9000/-	1	1	-
12.	अनुसंधान अन्वेषक	5500-9000/-	3	3	-
13.	सहायक	5000-8000/-	3	3	-
14.	लेखाकार	5000-8000/-	1	1	-
15.	उर्दू अनुवादक	5000-8000/-	1	1	-
16.	हिन्दी अनुवादक	5000-8000/-	1	1	-
17.	अनुसंधान सहायक	5000-8000/-	3	3	-
18.	निजी सहायक	5000-8000/-	2	2	-
19.	आशुलिपिक (उर्दू)	4000-6000/-	1	1	-
20.	आशुलिपिक ग्रेड 'डी'	4000-6000/-	3	2	1
21.	प्रवर श्रेणी लिपिक	4000-6000/-	4	3	1
22.	अवर श्रेणी लिपिक	3050-4590/-	5	3	-
23.	स्टाफ कार चालक	3050-4590/-	10	10	-
24.	डिस्पेच राइडर	3050-4590/-	1	1	-
25.	गैस्टेटनर ऑपरेटर	2650-4000/-	1	1	-
26.	दफ्तरी	2610-3540/-	1	1	-
27.	जमादार	2610-3540/-	1	1	-
28.	पुस्तकालय सहायक	2550-3200/-	1	1	
29.	चपरासी	2550-3200/-	9	9	-
30.	सफाईवाला	2550-3200/-	2	2	-
		कुल :	64	62+1	2

* सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अवर सचिव के एक अतिरिक्त पद की व्यवस्था की गई है ।

(ग) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यों के साथ नियुक्त को-टर्मिनस स्टाफ

क्रम सं.	पद का नाम	वेतनमान	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1.	निजी सचिव	12000-18000/-	1	1	-
2.	अपर निजी सचिव	10000-15200/-	1	1	-
3.	निजी सचिव	6500-10500/-	6	6	-
4.	सहायक निजी सचिव	6500-10500/-	2	2	-
5.	निजी सहायक	5500-9000/-	2	2	-
6.	निजी सहायक	5000-8000/-	6	6	-
7.	पंजाबी आशुलिपिक	5000-8000/-	1	1	-
8.	अवर श्रेणी लिपिक	3050-4590/-	2	2	-
9.	जमादार	2610-3530/-	7	7	-
10.	चपरासी	2550-3200/-	3	3	-
		जोड़ :	31	31	-